जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

ग्राम पंचायत एवं विद्यालय स्तरीय आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण एवं कार्ययोजना के विकास हेतु आवश्यक जानकारियां

2016

जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी
दूरभाष नं०- 01374-226461, 222126, 1077 (टोल फ्री)
मो0- 7500337269

E-mail : ddmauttarkashi@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

निर्देशन

ए0के0 पाण्डेय

अपर जिलाधिकारी/मुख्य अधिशासी अधिकारी,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

संकलन

देवेन्द्र सिंह पटवाल

जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी

सहयोग

गणेशमणी बड़ोनी

अरविन्द सिंह रावत

केदार सिंह नेगी

प्रकाशक

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी

जिला कार्यालय परिसर, उत्तरकाशी-249193

दूरभाष नं0 : 01374-222722, 222126, 1077 (टोल फ्री)

मोबाईल नं0 : 7500337269

ई-मेल : ddmauttarkashi@gmail.com

वेव साईट http://uttarkashi.nic.in>Departments>Disaster Management> District Disaster Management Authority(DDMA)

आभार

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC)

उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।

एवं

उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट,

उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

संदेश

जनपद की विषम भौगोलिक परिस्थिति इसे कुछ आपदाओं के प्रति अत्यन्त संवेदनशील बनाती है तो वही सही जानकारी के अभाव में यहां निवास कर रहे जन समुदाय की घातकता के स्तर को और अधिक बढ़ा देता है। सम्भावित आपदाओं के प्रति उदासीनता एवं आपदा के समय व उसके बाद अव्यवस्थित एवं अनियोजित प्रतिवादन मानवीय त्रासदी के परिमाण को निश्चित रूप से बढ़ाती है। सही जानकारी की उपलब्धता, आपदा सम्बन्धित जागरूकता लाने के साथ ही यहां निवास कर रहे जन समुदाय को आपदा का सक्षम रूप से सामना करने हेतु आत्मविश्वास भी प्रदान करेगी। इस पुस्तिका का उद्देश्य ग्राम पंचायत व विद्यालय स्तर पर आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सम्बन्धितों को सरल भाषा में सही जानकारियाँ उपलब्ध करवाना है ताकि समुदाय के स्तर पर इनका उपयोग कर सम्भावित आपदाओं का उचित प्रबन्धन किया जा सके।

इस पुस्तिका में अधिकतर सम्भावित आपदाओं के कारणों की विवेचना कर इनसे बचाव के लिए आवश्यक जानकारियों का संकलन किया गया है। भूकम्प, भू–स्खलन, बादल फ़टने की घटना के साथ ही इसमें अन्य आपदाओं एवं दुर्घटनाओं सम्बन्धित जानकारियाँ भी दी गयी हैं। आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन के लिए इन जानकारियों का उपयोग निश्चित ही अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित जानकारियों के प्रचार–प्रसार के प्रति कृतसंकल्प है। मुझे आशा है कि आपदा की परिभाषा की सीमाओं के प्रतिबन्ध से मुक्त इस पुस्तिका का उद्देश्य सही जानकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत व विद्यालय स्तर पर आपदा प्रबन्धन के प्रति जागरूकता व राहत–बचाव की तैयारी के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं के विकास करने लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

दिनॉक– 21 मार्च, 2016

(विनय शंकर पाण्डेय)
अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

1. आपदा प्रबंधन सामान्य परिचय

किसी स्थान पर किसी ऐसी भौतिक घटना घटित होने के परिणाम स्वरूप मनुष्य द्वारा निर्मित कमजोर ढाँचो, घटको और व्यवस्थाओ के क्षति ग्रस्त होने के पश्चात की जाने वाली व्यवस्थाओं/राहत कार्यों को किया जाना ही आपदा प्रबंधन कार्ययोजना का मुख्य उद्देश्य है।

आपदा प्रबंधन योजना मे आपदा से पूर्व आपदा के दौरान तथा आपदा के बाद किये जाने वाले राहत कार्यों का समावेश किया जाता है।

दैवीय आपदाओ को निम्न श्रेणी मे बाँटा जा सकता है :-

1. पानी व मौसम सम्बन्धी आपदायें

- बाढ़ व नालियों का प्रबंधन
- तूफान चक्रवात
- टोरनेडो और हैरीकेन (तूफानी बवंडर)
- ओलावृष्टि
- बादल फटना
- आकाशीय बिजली गिरना
- लू लगना और शीत लहर
- सूखा
- समुद्री किनारों का कटाव
- बर्फीले अवलान्च

2 भूगर्भीय आपदायें

- भूकम्प, भूस्खलन व कीचड़ का बहाव
- डैम का फटना/टूटना
- खानों में अग्नि दुर्घटना

3 रासायनिक कारखानों और नाभिकीय आपदायें

- रासायनिक और कारखानों से सम्बन्धित
- नाभिकीय (न्यूल्कियर) आपदायें

4 दुर्घटनाओं सम्बन्धित आपदायें (मानवीय कारण)

- शहरी क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटना
- ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटना
- वनाग्नि
- विद्युत आपदायें व अग्नि दुर्घटना
- बम के धमाके/क्रमबद्ध धमाके
- तेल का रिसाव

Scanned with OKEN Scanner

- त्यौहारों पर होने वाली आपदायें
- सड़क रेल वायु दुर्घटनायें
- नाव डूबने की दुर्घटनायें
- खानों में पानी भर जाने की दुर्घटनायें
- भवनों के गिरने से दुर्घटना
- झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में अग्नि दुर्घटना

5 जैविक आपदायें

- जैविक आपदायें, हैजा आदि
- कीड़े, टिड्डी प्रकोप
- जानवरों सम्बन्धी बीमारियाँ

भूकम्प : तैयारी कैसे करें ?

भूकम्प कभी भी कहीं भी बिना किसी चेतावनी के आ सकता है। लेकिन इस आपदा के लिए यदि हम पहले से तैयार रहें तो इन आपदाओं से बच सकते है। तथा मानव–पशु हानि को कम कर सकते है।

भूकम्प से पहले की देखभाल

- भारी वस्तुओं को हमेशा नीचे रखें ।
- टूटने वाला सामान जैसे – बोतल, ग्लास, खाने की वस्तुएं आदि को बक्से में रखें ।
- बिस्तर के ऊपर लटके सामान जैसे – फोटो, शीशी, तस्वीर आदि को हटाकर अन्य स्थान पर रखें जिससे किसी व्यक्ति को हानि न पहुँचे।
- आग लगने वाली ऐसी सारी वस्तुओं को ठीक कर लें जो आग को जन्म देकर घातक रूप ले लेती है। जैसे– जगह–जगह से कटी विद्युत लाईन, खाना बनाने वाली गैस, अन्य ज्वलनशील पदार्थ।
- मकान की दीवार या छत में कोई दरार हो तो उसे ठीक करा लें।
- ज्वलनशील पदार्थ को बक्से में बन्द या सुरक्षित स्थान में रखें।

बचाव के लिए सुरक्षित स्थान को पहचानना

1. मजबूत फर्नीचर जैसे – मेज, कुर्सी आदि
2. ऐसे दरवाजों के नीचे जिनके ऊपर स्लैब पड़ा हो।
3. शीशे लगी खिड़कियों के पास, आईना या किताबों की अलमारी के बगल में या किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ भारी वस्तु गिरने का खतरा हो, से दूर रहे।

घर से बाहर सुरक्षित स्थानों को चिन्हित करना

1. परिवार के हर सदस्य को यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए की भूकम्प के बाद किस व्यक्ति को क्या करना है।
2. परिवार के हर सदस्य को यह बताना आवश्यक है कि कब और कैसे बिजली, रसोई गैस और पानी को बन्द करें।
3. परिवार के प्रत्येक बच्चे को यह बताना आवश्यक है कि आपदा आने पर अपना बचाव कैसे करें।

Scanned with OKEN Scanner

आपदा के समय आवश्यक वस्तुऐं

- निम्न वस्तुओं को हमेशा एक जगह पर एकत्रित कर रखें, ताकि आपातकालीन स्थितियों में इनका उपयोग आसानी से किया जा सके।
- उचित होगा कि ऐसी वस्तुओं का एक किट बना लें तथा उसके ऊपर लेबल लगा लें जिस पर वस्तुओं की जानकारी अंकित हो।

रेडियो, फर्स्ट एड बाक्स, आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाईयाँ, धनराशि, मजबूत जूते एवं चप्पल, टॉर्च, बैटरी, माचिस, मोमबती, प्लास्टिक शीट आदि।

आपातकालीन संचार योजना

कभी–कभी परिवार के सदस्य भूकम्प के दौरान अलग–अलग स्थानों में होते है। (दिन की अवधि में जब बड़े लोग काम पर गये होते हैं और बच्चे स्कूल में होते है) ऐसी स्थिति में कोई स्थान चयनित कर लें जहाँ पर परिवार के सभी सदस्य एकत्र हो सकें।

गाँव या शहर से बाहर रिश्तेदारों और दोस्तों के परिवार का सम्पर्क टेलीफोन नम्बर होना चाहिए ताकि आपदा के बाद उन सदस्यों से सम्पर्क बनाया जा सके। यह भी सुनिश्चित कर लें कि परिवार के हर सदस्य के पास सम्पर्क करने वाले व्यक्ति का नाम पता नम्बर अवश्य हो।

यदि आप घर के अन्दर हों तो उस दौरान

- मजबूत टेबल या अन्य वस्तु के नीचे शरण लें।
- भीतर ही बने रहें व्यर्थ की भगदौड़ न करें जब पूरा घर हिल रहा होता है तो ऐसी स्थिति में अफरा तफरी में घर से बाहर निकलना सबसे खतरनाक होता है क्योंकि भारी वस्तुऐं आप पर गिर सकती हैं। उचित होगा कि किसी सुरक्षित स्थान पर ही खडें रहें।

यदि आप घर के बाहर हों तो उस दौरान

1. भवन से दूर खुले स्थान कि ओर चले जाना चाहिए ताकि भवन का मलवा, बिजली के खम्भे आदि आप पर न गिरें ।
2. खुले स्थान से तब तक वापस नहीं आना चाहिए जब तक कि भूकम्प के झटके कम न हो जाएं।

भूकम्प के बाद पालतू पशुओं का व्यवहार

देखा गया है कि भूकम्प में पालतू जानवरों के व्यवहार में नाटकीय रूप से परिवर्तन होता है। सामान्य शान्तप्रिय कुत्ते एवं बिल्ली आक्रामक रूप में दिखने लगते हैं यद्यपि इस धारणा के कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इनको सुरक्षित स्थान पर बन्द कर देना चाहिए।

पालतू पशुओं के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री का भण्डारण सुरक्षित रखें। स्वास्थ्य एवं जगह को ध्यान में रखते हुए पालतू जानवरों को अपने साथ न रखें। जानवरों के लिए अलग से आपातकालीन शरणालय बना लें जिसमें कम से कम 3 दिन के लिए खाद्य सामग्री एवं पानी भी उपलब्ध हो।

भूकम्प के बाद आने वाले झटकों के लिए तैयार रहें

यद्यपि भूकम्प के बाद आने वाले झटके मुख्य झटके से कम प्रभावशाली होते है। फिर भी पहले से कमजोर पड़े भवनों को नुकसान पहुँचता है। ऐसी स्थिति में भवन के अन्दर रहना खतरनाक साबित हो सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

घायल व फंसे व्यक्तियों की सहायता

- जहाँ उपयुक्त हो प्राथमिक उपचार करें घायल की हालत गम्भीर होने पर उसे तुरन्त नजीदीक के प्राथमिक उपचार दें। घायल की हालत गम्भीर होने पर उसे तुरन्त नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाये।
- आपातकाल मे बच्चे बूढ़े एवं अपंग व्यक्तियों को विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे व्यक्तियो को भवन से तुरन्त बाहर खुले स्थान में ले आयें।
- आपातकाल में पड़ोसियों का भी ध्यान रखें।
- क्षतिग्रस्त भवन मे न रहें और अपने मकानों में वापस तभी आयें जब विशेषज्ञ कहें कि भवन सुरक्षित है।
- टेलीफोन का उपयोग केवल आपात सूचना देने के लिए करें।
- रसोई गैस, ज्वलनशील पदार्थो का निरीक्षण कर लें, रिसाव की स्थिति में घर के सभी दरवाजे, खिड़कियों को खोल दें।
- विद्युत लाईन यदि स्पार्क कर रही हो तो मेन स्विच का सर्किट हटा दें।

भूकम्प के पूर्ववर्ती लक्षण

- 2–4 सप्ताह पहले कुओं में जल स्तर का बढ़ना। सूखे कुओं का भरना।
- 3–4 महीनों में तापमान का अधिकतम एवं न्यूनतम स्तर का निरन्तर बढ़ना। भूकम्प के दिन तापमान का 7–12 डिग्री तक बढ़ना।
- 5–7 दिन पहले रेडियो पर सिगनल का स्थानान्तरित होना।
- 3 दिन पहले लैंडलाईन टेलिफोन की क्षमता में गुणवता की कमी।
- 10–15 घण्टे पहले टेलिविजन के सिगनल में अनियमितता।
- 100–150 मिनट पहले मोबाइल फोन सेवाओं का बाधित होना।
- 10–15 घण्टे पहले जानवरों एवं पक्षियों का बेचैन होकर शोर मचाना।
- 10–20 घण्टें पहले प्रसव एवं ओ0पी0डी0 की स्थिति में 5–7 गुना की वृद्वि होना। रक्तचाप में बढोतरी, चिड़चिड़ापन, सरदर्द, माइग्रेन, सांस की तकलीफ जैसी बिमारियों में बढोतरी होना।
- वातावरण में परिवर्तन के कारण जानवरों एवं मनुष्यों में अनियमित व्यवहार की बढोतरी।

Scanned with OKEN Scanner

2. योजना क्या है?

कोई भी काम करने से पहले हमारे दिमाग में एक खाका तैयार हो जाता है कि हम काम कैसे करेंगे। जैसे हम घर से बाहर जाने से पहले से तय करते है कि:–

- हम कैसे जायेंगे पैदल, साइकिल, मोटर साइकिल, बस या कोई अन्य साधन से,
- जाने में कितना वक्त लगेगा,
- हमें किन–किन जगहों पर रूकना है और किन लोगों से मिलना है,
- उनसे क्या बात करनी है,

इस तरह की बहुत सी बातें जो हम करने वाले होते हैं उनका खाका अपने मन में पहले से खींचते हैं। इसी तरह हम गांव स्तर पर या ग्राम पंचायत के स्तर पर काम करने के पहले यह तय करते हैं कि–

- कौन–कौन से काम करने हैं?
- कहां–कहां पर यह काम किये जाने हैं?
- किन–किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा?
- काम कितने समय में पूरा होगा?
- काम करने के लिए संसाधन (जैसे– धनराशि, सामान आदि) कहां–कहां से जुटाये जायेंगे।

इसी को योजना बनाना कहते हैं, चूंकि यह योजना गांव के आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई है इसलिए इसे आपदा प्रबंधन कहा जाता है।

अगर हमें अपने गांव की योजना बनानी हो तो हमारे सामने कई सवाल उठते हैं, जैसे:–

- क्या हमारे पास गांव की जानकारी है?
- हमारे गांव की मुख्य आवश्यकतायें क्या हैं और पंचायत के विकास के लिए क्या–क्या काम करने हैं?
- आवश्यकताओं के समाधान क्या हो सकते हैं?
- सबसे अच्छा समाधान क्या हैं?
- समाधान में कितना समय लग सकता है?
- समाधान के लिए हमारे पास क्या संसाधन (धन, श्रम, सामग्री) उपलब्ध है?
- समाधान के लिए कौन–कौन सी सरकारी योजनायें हैं?
- अतिरिक्त संसाधनों की कितनी जरूरत है?
- ये संसाधन किन–किन स्रातों से जुटाये जायेंगे?
- समाधान के लिए जवाबदेही कौन व्यक्ति या समूह लेगा?
- कार्यों को लागू कौन करेगा और उनकी देख–रेख व समीक्षा कौन करेगा?
- लागू करने के बाद आवश्यकता फिर से न हो उसकी देख–रेख व व्यवस्था कौन करेगा और कैसे किया जायेगा?

ऊपर दिये हुए बिन्दुओं को ध्यान में रखकर ही हम गांव की आपदा प्रबंधन योजना का खाका खींच सकते हैं।

गांव की आपदा प्रबंधन योजना बनाने के लिए क्या–क्या करेंगे

योजना बनाने का तरीका: यह तरीका ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं आम लोगों के मार्गदर्शन के लिए है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

इस तरीके में नीचे लिखी बातों पर ध्यान दें:-

- इसके लिए जरूरी है कि सभी पुरवों/मजरों से कुछ लोग जैसे युवा, महिला, पुरूष एवं कुछ बुजुर्ग ग्राम सभा सदस्य योजना बनाने और लागू करने में पंचायत की मदद करें।
- हरेक पुरवों/मजरों में आने वाले पंचायत के वार्डों के सदस्य इस काम में मुख्य भूमिका में रहें और उनको शामिल किया जाये।
- पुरवों/मजरों के पंच कुछ सक्रिय एवं सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों जिसमें युवा, बुजुर्ग (महिला एवं पुरूष दोनों) शामिल हों (सभी वर्गों के)।

गांव की आपदा योजना बनाने से पहले की तैयारी: सर्वप्रथम गांव की आवश्यक जानकारी जैसे वहां ग्राम स्तर पर तैनात कर्मचारियों के नाम, पता व फोन नं0, मूलभूत संरचनाएं, जैसे बांध, सम्पर्क मार्ग, भवन एवं भौगोलिक स्थिति जैसे– नदी तटबंध तथा गांव के सामाजिक ढांचा आदि।

गांव स्तर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों व अन्य जनमानस से पहले बातचीत कर मीटिंग का अजेन्डा, समय व स्थान निर्धारित करना व स्थानीय कर्मचारियों/ग्राम्य प्रतिनिधियों को उस मीटिंग के लिए लोगों को पहले से सूचना देने, बैठने की व्यवस्था करने व एकत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपना।

योजना बनाये जाने से पहले यह अति आवश्यक है कि उस क्षेत्र/गांव में कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्था के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उनके साथ समन्वय स्थापित करें, क्योंकि वह स्थानीय स्तर पर समुदाय के साथ कार्य कर रहे हैं और उस गांव की योजना बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते है।

- क्या–क्या सामान साथ ले जाना चाहिए– चेक लिस्ट
- चार्ट पेपर्स
- रंगीन स्केच पेन/रंगीन पेंन्सिल
- कुछ सादे पेपर
- चिपकाने के लिए टेप व छोटी कैंची
- पेन्सिल, रबर, कटर
- टार्च या रोशनी के लिए कुछ इंतजाम
- कैमरा
- एक रजिस्टर
- गोंद, अबरी/झंडी कागज
- चाक/खड़िया
- नील/गेरू/चूना

गांव पहुंचने के बाद सर्वप्रथम क्या करें (वातावरण निर्माण व सम्पर्क स्थापना) यह एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि लोक– केन्द्रित विकास के लिए गाँव को गाँव वालों के नजरिए से जानना जरूरी है और इसके लिए आपसी जुड़ाव, विश्वास आवश्यक है। वैसे यह एक लम्बी प्रक्रिया है पर इसकी एक अच्छी शुरूआत होनी चाहिए। इस दौरान गाँव वालों को अपनी भूमिका, अपना उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है तथा उनकी भूमिका की भी बात की जाती है। इससे आगे के चरणों के लिए, सम्बन्धित लागों की सहभागिता सुनिश्चित हो पाती है। एक–दूसरे से की गई अपेक्षा में खुलापन होने से सामूहिक प्रक्रिया में सुविधा होती है।

संपर्क से ही वातावरण निर्माण का काम चलता रहता है, पर सहभागी ग्रामीण अध्ययन के पहले बहुत हद तक समुचित वातावरण निर्माण हो जाना चाहिए तभी सहभागी ग्रामीण अध्ययन सही रूप में हो पायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

यदि गांवों में शोषण एवं टकराव की स्थिति व्याप्त है तो यह काम काफी कठिन हो जाता है। सूक्ष्म स्तरीय नियोजन (माईक्रोप्लानिंग) के हर एक चरण में लोगों के टकराहट, तनाव की स्थिति उभर सकती है। इन परिस्थितियों को किस प्रकार संभाला जाता है, इससे यह तय होगा कि सामूहिक विकास का प्रयास कहां तक सफल हो पाता है। वातावरण निर्माण किस प्रकार होगा, यह बहुत हद तक परिस्थिति तथा व्यक्ति/समूह की विशेषता पर निर्भर करेगा।

उपस्थित कर्मचारियों, गांव के लोगों एवं स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि के साथ गांव का भ्रमण करें और लोगों को निर्धारित स्थान पर आने के लिए आग्रह करें।

उपस्थित लोगों से ग्राम में आयी किसी आपदा तथा समुदाय की प्रतिक्रिया पर चर्चा करें व उनसे जानने की इच्छा जाहिर करें कि नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है। फिर बात को आगे बढ़ाते हुए उन्हें अपने आने का कारण, परियोजना का संक्षिप्त विवरण, योजना निर्माण की उपयोगिता के बारे में बताएं।

इसके बाद उन्हें बताएं व जानें कि आपदा प्रबन्धन योजना बनाने के लिए क्या–क्या कार्य किये जा सकते हैं।

योजना निर्माण के चरण

गांव के आपदा प्रबंधन की योजना बनाने की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित चरणों में बांट सकते है:–

पहला चरण: हरेक पुरवों/मजरों की आवश्यक जानकारी इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना। आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यकताओं की पुरवों/मजरों स्तर पर प्राथमिकता तय करना

दूसरा चरण: आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त समाधान का चुनाव।

तीसरा चरण: योजना का लिखित प्रस्तुतिकरण करना। योजना का ग्राम सभा के सामने प्रस्तुतिकरण और अंतिम स्वरूप प्रदान करना।

पहले चरण की प्रक्रियाएं

जानकारी इकट्ठा करने के लिए आप हर पुरवों/मजरों स्तर पर यहां के गणमान्य व्यक्तियों, पंचायत सदस्यों व लोगों के साथ बैठक करें।

बैठक में आपदा प्रबंधन की योजना और उसके महत्व पर चर्चा करें।

बैठक में ही उस मुद्दे पर रूचि रखने वाले अनुभवी युवक, महिला एवं अनुभवी व्यक्तियों का चुनाव करें। यह प्रक्रिया सभी पुरवों में अपनाएं।

हर पुरवे स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम स्तर पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों–पंचायत सचिव, अध्यापक, स्वास्थ्य कार्यकत्री का चयन करलें।

सहभागी ग्रामीण अध्ययन

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन (माइक्रोप्लानिंग) का यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है जहां खास मुद्दों पर विस्तृत जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं। इसके लिए कई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ये तकनीकें सहभागिता के सिद्धांत तथा खास संचार प्रक्रिया पर अधारित होती है। सहभागी ग्रामीण अध्ययन का उद्भव सत्तर–अस्सी के दशक में अलग–अलग संस्थाओं के द्वारा किये गये प्रसार से हो पाया है। उसमें मुख्य बात है छोटे–बड़े समूहों में रेखा चित्रों, प्रतीकों आदि के माध्यम से लोगों द्वारा सलाह मश्वरा से जानकारी एक जगह इकट्ठी करना। बाहरी व्यक्ति मुख्य तौर पर एक उत्प्रेरक (फैसीलीटेटर) का काम करता है। इसके कई लाभ हैं जैसे–अनपढ़ तथा पढ़े के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। लोग अपने तरीके से अपनी बात रख पाते हैं। समूह में गलत जानकारियां आने की संभावना नगण्य हो जाती है।

Scanned with OKEN Scanner

सहभागी ग्रामीण अध्ययन की कुछ तकनीक

सामाजिक व संसाधन मानचित्रण

विभिन्न प्रकार के संकेतों एवं चित्रों से गांव की सारी प्राथामिक जानकारियां जैसे–

- सुरक्षित शरण स्थल (पक्के घर, सामुदायिक भवन, ऊँचा टीला)
- पेयजल श्रोत (बड़े हैण्डपम्प, कुंआ आदि)
- पानी के अन्य श्रोत (तालाब, ट्यूबवेल, नहर आदि)
- कृषि उपयोगी जमीन
- जंगल/बाघ
- स्वास्थ्य केन्द्र/पशु चिकित्सा केन्द्र
- दूरभाष सेवा
- पोस्ट आफिस
- संसाधन केन्द्र/प्राथमिक पाठशाला
- मन्दिर/मस्जिद
- गोदाम (सरकारी एवं निजी)
- खाद्यान्न, केरोसीन तेल के बिक्रेता
- आंगनवाड़ी केन्द्र
- टेन्ट हाउस (जहां से बर्तन इत्यादि भाड़े पर लिए जा सकें)
- पुलिस चौकी
- नाव

उद्योग/फैक्ट्री/हस्तशिल्प इत्यादि दर्शाने की प्रक्रिया को मानचित्रण कहते है।

उद्देश्यः इय अभ्यास से एक ही स्थान पर बैठकर गांव की सामान्य मूलभूत जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं जो भविष्य के अभ्यासों के लिए एक आधार बनता है। इसी प्रकार कुछ विशिष्ट पहलुओं की विस्तृत जानकारी के लिए अलग–अलग प्रकार के मानचित्र भी बनाये जा सकते हैं जैसे– संसाधन मानचित्रण, सामाजिक मानचित्रण, स्वास्थ्य मानचित्रण, सेवा एवं सुविधा मानचित्रण इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्रों में विषयों पर जोर देते हुए विस्तृत चित्रण किया जा सकता है।

कैसे करें: इसके लिए सर्वप्रथम हम एक ऐसी खुली जगह जहां पर कुछ लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तथा उस तरफ से आते–जाते रहते हैं, वहां कुछ लोगों को बुलाते हैं तथा गांव के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। बातचीत के दौरान ही हममें से एस साथी आगे बढकर गांव के स्कूल, मन्दिर आदि में किन्हीं एक का संकेत जमीन पर बनाकर इंगित करता है, तत्पश्चात् लोगों को प्रोत्साहित करते हुए उनसे गांव के विभिन्न संसाधनों, मकानों, सुविधाओं इत्यादि को बनाकर दिखाने का निवेदन करते हैं। जमीन पर नक्शा बन जाने के बाद उसे कागज पर उतरवा लेना चाहिए।

लाभ

- चूंकि हम यह अभ्यास समूह में करते हैं, प्रायः सभी तरह की जानकारियां आ जाती हैं ताकि गलतियों को दूर करना भी संभव हो जाता है।
- इस प्रक्रिया से ग्रामीणों की सामूहिकता को बढ़ावा मिलता है।
- संकेतों तथा चिन्हों का प्रयोग इस अभ्यास में निरक्षर लोगों को भी शामिल करने के लिए बराबरी का अवसर प्रदान करता है।
- सहभागी ग्रामीण अध्ययन की आगे की कार्यवाही के लिए आधार प्रदान करता है।

Scanned with OKEN Scanner

आवश्यक सामग्री

- स्केच पेन, मार्कर, रंगीन पेंसिल।
- गांव में उपलब्ध सामग्री जैसे–कंकड़, तिनके, राख, पत्ते इत्यादि।

जोखिम एवं संवेदनशीलता चित्रण

इसके लिए ऊपर बनाये गये नक्शे में ही उन जगहों, वस्तुओं या लोगों को अंकित करें जो आपदा या जोखिम से प्रभावित हो सकते है। जैसे–

- जलमग्न हो जाने वाले क्षेत्र
- कमजोर तटबन्ध
- जीविकोपार्जन के साधन नाव/आटा चक्की/हथकरघा उपकरण
- खड़ी फसल, पोखर
- पानी के श्रोत
- कृषि उपकरण
- पोस्ट आफिस एवं अन्य भवन
- स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवन
- आबादी, विकलांग, निराश्रित, विधवा, बीमार आदि
- पूर्णतः कट जाने वाले क्षेत्र
- कच्चे घर/झोपड़ी

समय रेखा

यह गांव की ऐतिहासिक घटनाक्रम का प्रस्तुतिकरण है। गांव की आपदा से सम्बन्धित परिस्थिति तथा समस्याओं को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने से हमारी समझ गहरी होती है। इससे हमें कालक्रम में ग्रामीण जीवन स्तर में आए परिवर्तन के कारणों को समझने तथा भविष्य की अनुमानित दिशा की जानकारी मिलती है। इससे भविष्य के लिए संभावनाओं को ढूढ़ने में सहायता होती है।

प्रवाहक्रम (कारण परिणाम चित्रण)

इस अभ्यास में ग्रामीण व्यवस्था तंत्र के पहलुओं के बीच कारण–परिणाम का संबंध दिखाया जाता है। किसी भी परिस्थिति का संपूर्णता में समझने के लिए यह जरूरी है कि उपस्थित सभी पहलुओं में आपसी सम्बन्ध दिखाया जाये। इसके लिए इस पद्धति से किसी परिस्थिति, क्रिया व समस्या का विश्लेषण करने में काफी सुविधा होती है। इस अभ्यास से आपदाओं के आधारभूत कारणों का भी पता चलता है।

मौसमी विश्लेषण

इसके लिए लोगों से पूछें कि किस मौसम में किस प्रकार की आपदा या परेशानियां आती हैं ताकि उनके आधार पर योजना बनायी जा सके।

समस्या तथा कमियों का चिन्हींकरण

- आपदा प्रबन्धन के लिए मौजूदा संसाधनों की सूची।
- गांववासियों से पूछें कि क्या और संसाधनों या व्यवस्था की आवश्यकता वे महसूस करते हैं।

अवसर चित्रण

गांव के आपदा ग्रस्त हो जाने के दौरान किन संसाधनों या स्थानों का उपयोग किया जा सकता

Scanned with OKEN Scanner

हैं, उसको भी नक्शे में चिन्हित करें व लिखें जैसे–

- वैकल्पिक रास्ते, नाव आदि की व्यवस्था।
- सुरक्षित शरणस्थल।
- ऊँचे टीले।
- सुरक्षित प्राथमिक उपचार केन्द्र, अग्निशमन केन्द्र, पुलिस चौकी।
- निष्काशित लोगों के लिए सुरक्षित स्थल।
- कार्यदलों की पहचान।
- अस्थाई शरण स्थल।
- संचार के साधन जैसे ट्रैक्टर, जीप, नाव आदि।

द्वितीय चरण की प्रक्रियाएं

आपदा प्रबन्धन समिति एवं कार्यदलों का गठन

आपात् स्थिति में विभिन्न कार्य करने के लिए कई प्रकार के कार्यदलों का गठन किया जाएगा। ये कार्यदल राज्य, जिले, खण्ड, ग्रामपंचायत एवं ग्राम/वार्ड स्तर पर बनाए जाएंगे और किसी भी आपदा स्थिति में जवाबी कार्यवाही एवं सहायता एवं पुनर्वास का काम करने में अहम् भूमिका निभाएंगे ग्राम/वार्ड स्तर पर समुदाय से चुने हुए 10–12 लोगों को कार्यदल बनेगा।

ये कार्यदल निम्न हो सकते हैं–

- प्राथमिक उपचार पेयजल एवं स्वच्छता कार्यदल।
- पूर्व चेतावनी कार्यदल।
- खोज एवं बचाव कार्यदल।
- अस्थाई शरणस्थल प्रबंधन कार्यदल।
- सहायता वितरण कार्यदल।
- क्षति आकलन कार्यदल।

ग्राम पंचायत खण्ड स्तर पर स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधियों, प्रशासन के पदाधिकारियों तथा स्थानीय समुदाय के लोगों की सहभागिता से इन कार्यदलों का गठन किया जा सकता है। चिकित्सक, अभियंता, पशु–चिकित्सक, रेवेन्यू इन्सपेक्टर, खण्ड विकास पदाधिकारी सभी इनके सदस्य हो सकते हैं। खण्ड स्तर पर खण्ड विकास पदाधिकारी इन कार्यदल के कनवीनर हो सकते हैं।

उपरोक्त प्रक्रियायें 1 से 4 दिन के अन्तराल के बीच लगातार कार्य करके पूर्ण कर ली जायेंगी इसके पश्चात विभिन्न कार्यदलों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जायेगा। परन्तु यह प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है कि गठन के तुरन्त बाद कराया जाये।

तृतीय चरण की प्रक्रियाएं

गांव की आपदा प्रबन्धन योजना को अन्तिम स्वरूप देते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि जो योजना बनाई गई है उसका लिखित प्रारूप तैयार किया जाय व उसको सभी गांववासियो के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

प्रशिक्षण परिचय

इस उन्मुखिकरण का मुख्य उद्देश्य होगा कि सभी सदस्यों को निम्नांकित विषयों के बारे में जानकारी हो जाए:–

- आपदा पूर्व परिभाषा, कारण एवं प्रकार।

Scanned with OKEN Scanner

- आपदा पूर्व तैयारी, जवाबी प्रक्रिया एवं न्यूनीकरण क्या है?
- आपदा जोखिम कार्यक्रम के बारे में जानकारी।
- खण्ड आपदा प्रबंधन समिति के कार्य एवं दायित्व।
- खण्ड स्तरीय विभिन्न कार्यदलों के कार्य एवं दायित्व।
- आपात् स्थिति के लिए आपदा पूर्व तैयारी।
- वैकल्पिक आपदारोधी भवन निर्माण तकनीक।
- आपदा के प्रति संवेदनशीलता कम करने हेतु पर्यावरण की सुरक्षा।

प्रत्येक दिन प्रशिक्षण की शुरूआत प्रशिक्षणार्थियों के स्वागत, परिचय व नामांकन से करें। उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनें व संकलित करें। अगर संभव हो तो उसके विकल्पों पर चर्चा कर प्रतिभागी की समस्या दूर करें।

प्रशिक्षण शुरू करने से पिहले पिछले सत्र में हुई चर्चा की समीक्षा करें। प्रशिक्षकों को विषयवस्तु एवं कार्यक्रम/प्रशिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए।

समूह चर्चा के दौरान सभी सुझावों को ध्यानपूर्वक सुनें व संकलन करें।

प्रशिक्षण में अगर संभव हो तो श्रव्य–दृश्य सामग्री का उपयोग करें, पोस्टर एवं लिप चार्ट भी उपयोग करें।

प्रशिक्षण का वातावरण सौहार्द्रपूर्ण होना चाहिए एवं सभी की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

प्रशिक्षक विषय का विस्तारपूर्वक बता सकने एवं समीक्षा करने में सक्षम होने चाहिए।

स्थानीय भाषा का प्रयोग करें व स्थानीय किस्से, उदाहरण, कहावतों का प्रयोग करें।

जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता हो, उनके लिए पुनः प्रशिक्षण आयोजित कराए जाएं। प्रशिक्षण हेतु अन्य विषयों का प्रतिभागी से फीडबैक लें।

प्रशिक्षण का स्तर सभी प्रशिक्षार्थियों के स्तर अनुकूल होना चाहिए।

प्रशिक्षण पद्धति

प्रतिक्षण देने के पूर्व यह आवश्यक है कि प्रशिक्षक व प्रतिभागी आपस में समझ बना लें। एक निश्चित स्तर पूर्व चर्चा कर प्रतिभागियों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण में निम्न विधा/पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है–

- भाषण देकर।
- खेल के माध्यम से।
- पोस्टर/चित्र के माध्यम से।
- केस स्ट्डी के माध्यम से।
- समूह चर्चा।

प्रशिक्षण में यह प्रयास करना चाहिए की सभी लोग भागीदारी निभाएं एवं सिर्फ एकतरफा संप्रषेण न हो। प्रशिक्षण माहौल दोस्ताना होना चाहिए तथा सभी अपने विचार खुले तरीके से सामने रख सकें, यह प्रयास करना चाहिए।

स्थानः स्थान का चयन प्रतिभागियों की सुविधा के अनुसार होना चाहिए

समयः दो दिन

प्रशिक्षक

वह विषय विशेषज्ञ जो अपने विषय की अधिकाधिक जानकारी रखने के साथ उस जानकारी को हर स्तर के प्रतिभागियों में अधिकाधिक पहुंचा सके।

Scanned with OKEN Scanner

क्या करें-

- अपना सामान्य परिचय दें व प्रतिभागियों से रूचिपूर्वक परिचय प्राप्त करें।
- परिचय में प्रतिभागियों की अन्य जानकारियां जैसे– उनके कार्य क्षेत्र उनके भोजन कपड़े, मनोरंजन की रूचियों की जानकारी ले।
- उम्र व लिंग के अनुसार क्षेत्रीय सम्बोधनों– चाचा, दादा, ताऊ, चाची, माई, बाबू आदि का प्रयोग करें।
- प्रतिभागियों की बात/समस्या ध्यान से सुनें व चार्ट पर लिखें तथा विकल्पों पर चर्चा करायें।
- समान स्तर पर बैठें।
- सभी से नजरें मिलाकर चर्चा करें।
- चेहरे के हावभाव प्रतिभागी की समस्या/विषयवस्तु के अनुरूप रखें।
- यदि खड़े होकर प्रशिक्षण दे रहे हैं तो स्थान बदलते रहें।
- अपनी आवाज प्रतिभागियों की संख्या व पहुंच के हिसाब से घटाएं/बढ़ायें।
- सामान्य व ढीले वस्त्र पहनें।
- हाथ, आंख व शरीर की गति विषयवस्तु के सामान्तर रखें।
- उदाहरण, कहानी, किस्से, पहेली व खेल का प्रयोग करें।
- बीच–बीच में विषयवस्तु पर प्रतिभागियों से फीडबैक/सुझाव प्राप्त करें।
- समय से पूर्व प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचे।
- चाय, नाश्ते/भोजन में प्रतिभागियों के साथ रहें।
- सत्र खत्म होने पर लिखित/ मौखित फीडबैक प्राप्त करें।
- अभिवादन करें व अभिवादन प्राप्त करें।
- खाली सत्र में खेती किसानी, राजनीति आदि आम विषयों पर चर्चा करें।

क्या न करें-

- प्रतिभागियों को चर्चा के दौरान बीच में न रोकें।
- गलत प्रश्न/विषय वस्तु से भिन्न प्रश्नों को सीधे न कारें बल्कि चार्ट पेपर पर लिखकर किसी खाली सत्र/चाय सत्र के दौरान चर्चा हेतु रखें।
- मजाकिया/गलत सम्बोधन का प्रयोग न करें।
- जातिगत/लिंग मदभेद विषयों पर चर्चा न करें।
- ज्यादा रंगीन वस्त्र न पहनें।
- पान/गुटका/तम्बाकू का प्रयोग प्रतिभागियों के बीच न करें, व न करने दें।
- लगातार न बोलें।
- कठिन शब्दों व अंग्रेजी के अप्रचलित शब्दों का प्रयोग न करें।
- गलत उत्तर मिलने पर न हसें।
- प्रशिक्षण के विषय वस्तु से न भटकें।
- विवादों में न पड़ें।
- उद्बोधनों जैसे– बुढऊ, बुढिया, मामा, फूफा आदि का प्रयोग न करें।
- प्रतिभागियों की तरफ पीठ न करें।
- कान–नाक में ऊंगली, नाखून चबाना, दांत में सीक लगाना जैसी प्रक्रियाएं प्रतिभागियों के समक्ष न करें।

Scanned with OKEN Scanner

3. आपदा प्रबन्धन में विभिन्न सरकारी विभागों की भूमिका व उत्तरदायित्व

तहसीलदार का यह दायित्व होगा कि वह अपने ब्लाक में ब्लाक आपदा प्रबन्धन समिति व दल, ग्राम्य पंचायत आपदा प्रबन्धन समिति व दल तथा ग्राम्य आपदा धन समिति का गठन किया जाये।

खण्ड विकास अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने ब्लाक में ब्लाक आपदा प्रबन्धन समिति व दल, ग्राम्य पंचायत आपदा प्रबन्धन समिति व दल तथा ग्राम्य आपदा प्रबन्धन समिति व दल का गठन करें।

खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक आपदा प्रबन्धन समिति व दल का संयोजन होगा तथा ब्लाक प्रमुख अध्यक्ष होगा। खण्ड विकास अधिकारी किसी एक सहायक विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करेगा जो ब्लाक आपदा प्रबन्धन समिति व दल ग्राम्य पंचायत आपदा प्रबन्धन समिति व दल तथा ग्राम्य आपदा प्रबन्धन समिति व दल के गठन प्रक्रिया की निगरानी करेगा।

खण्ड विकास अधिकारी सभी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम्य विकास अधिकारी को निर्देशित करेगा कि वे ग्राम्य पंचायत आपदा प्रबन्धन समिति व दल तथा ग्राम्य आपदा प्रबन्धन समिति व दल का गठन तय रूपरेखा पर कराए साथ ही यह भी निर्देशित करेंगे कि ग्राम्य पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम्य विकास अधिकारी अन्य विभाग के कर्मचारियों, जो कि इस कार्य को कर रहे हैं, के साथ तालमेल बनाए रखेंगे।

तहसीलदार समस्त उप राजस्व निरीक्षक को निर्देशित करेंगे कि वे तय रूपरेखा पर ग्राम्य पंचायत आपदा प्रबन्धन समिति व दल तथा ग्राम्य आपदा प्रबन्धन समिति व दल का गठन कराएं साथ ही इस कार्य में लगे अन्य विभाग के कर्मचारियों के साथ समन्वय बनाए रखेंगे।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/उप राजस्व निरीक्षक आपसी समन्वय के द्वारा ग्राम पंचायत/ग्राम आपदा प्रबंधन समितियों व दलों का गठन करेंगे।

स्वास्थ्य विभाग

सी.एम.ओ. अपने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के जरिये ए.एन.एम./स्वास्थ्य कार्यकर्ता को निर्देशित करेंगे कि वे अपने क्षेत्र में ग्राम्य पंचायत आपदा प्रबन्धन समिति स्वास्थ्य तथा ग्राम्य आपदा प्रबन्धन समिति व दल के गठन में सहयोग करें तथा वे भी समिति के सदस्य होंगे।

शिक्षा विभाग

बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से अपने समस्त जूनियर/प्राथमिक अध्यापकों/शिक्षा मित्रों को निर्देशित करेंगे कि वे अपने शिक्षा क्षेत्र में ग्राम्य पंचायत आपदा प्रबन्धन समिति व दल ग्राम्य आपदा प्रबन्धन समिति व दल के गठन में सहयोग करेंगे तथा समितियों के सदस्य होंगे।

जिला विद्यालय निरीक्षक अपने क्षेत्र के प्रधानाध्यापक/अध्यापक को निर्देशित करेगा कि आपदा प्रबंधन कार्यक्रम में अपना सक्रिया योगदान दें।

महाविद्यालय के प्राचार्य अपने महाविद्यालय के शिक्षकों व छात्रों को निर्देशित करेंगे कि वे अपने क्षेत्र के आपदा प्रबंधन कार्यक्रम में सक्रिय योगदान दें।

बाल विकास

जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास अपने सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिका को निर्देशित करेंगे कि वे अपने कार्य क्षेत्र में ग्राम्य पंचायत आपदा प्रबन्धन समिति व दल तथा ग्राम्य आपदा प्रबन्धन समिति व दल के गठन में सहयोग करेंगी तथा स्वयं भी समिति के सदस्य होंगी।

Scanned with OKEN Scanner

प्रान्तीय रक्षा दल/पुलिस

थानाध्यक्ष अपने–अपने थाना क्षेत्र के चौकीदारों को निर्देशित करेंगे कि वे ग्राम्य आपदा प्रवन्धन समिति व दल गठन में सहयोग करेंगे तथा स्वयं भी समिति के सदस्य होंगे।

नेहरू युवा केन्द्र

जिला युवा केन्द्र समन्वयक अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित करेंगे कि वे अपने–अपने क्षेत्र में ग्राम्य आपदा प्रबन्धन समिति व दल के गठन में सहयोग करेंगे तथा स्वयं भी समिति के सदस्य होंगे। संबंधित जिलों के जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी के निर्देशों के अनुसार अन्य विभाग भी अपेक्षित सहयोग करेंगे।

अन्य सामान्य जानकारी

सामान्य समय में

- विकास खण्ड आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण योजना तैयार करना।
- पंचायत के नोडल पदाधिकारी एवं समिति की पंचायत आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में मदद करना।
- ग्राम पंचायत स्तर के कार्य दलों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन करना।
- विकास खण्ड आपदा प्रबंधन योजना का अद्यतन/नवीनकरण करना।
- विकास के अन्य कार्यक्रमों के विकास खण्ड की आपदा के प्रति संवेदनशीलता को शामिल करना।
- हर प्रकार की आपदा के प्रति जागरूकता अभियान चलाना।
- मई एवं सितम्बर के महीने में अभ्यास कर पूर्व तैयारी करना।

आपदा पूर्व स्थिति (आपदा से 48 घण्टे पूर्व)

- खण्ड विकास पदाधिकारी को तुरन्त खण्ड आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक बुला कर काम बंटवारा कर लेना चाहिए।
- यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि योजना के अनुसार जिन संसाधनों की आवश्यकता है वह उपलब्ध हों।
- आपात् स्थिति के लिए खण्ड स्तर का नियंत्रण एवं सूचना कक्ष कार्यरत हो जाना चाहिए।
- खण्ड से सभी संवेदनशील क्षेत्र एवं लोगों तक पूर्व चेतावनी प्रसारित हो जानी चाहिए।
- खाद्यान्न एवं पशुचारे का भण्डारण एवं दवाईयाँ इत्यादि इकट्ठी कर ली जानी चाहिए।
- आपात् स्थिति के लिए नाव टेन्ट, पालीथीन, जेनरेटर, डीजल एवं अन्य आवश्यक उपकरण सुनिश्चित स्थान पर होने चाहिए।
- मानव संसाधन जैसे नाविक, गोताखेर, तैराक एवं कार्यदल के सदस्यों को सूचना मिल जानी चाहिए।
- सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों (राज्य एवं जिला स्तर) के दूरभाष संख्या एवं पता तैयार होना चाहिए।

आपदा दौरान

- ग्राम पंचायत को उनकी गतिविधियों में सहयोग देना।
- बचाव एवं राहत कार्य में सहयोग।
- सहायता वितरण की निगरानी करना।
- पुनर्वास के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों में समन्वय।
- क्षति आंकलन एवं क्षतिपूर्ति हेतु सूचनाओं के विषय में जागरूकता।

Scanned with OKEN Scanner

विभिन्न आपदाओं के समय क्या करें क्या न करें?

अग्नि दुर्घटना के दौरान सावधानियाँ

ऊँचे मकानों में लगी आग

- बिना डरे शांति से मकान से बाहर निकल जाएं।
- लोगो को चिल्लाकर चेतावनी दे।
- मकान के बाहर सीढ़ियों पर से ही निकले।
- गीले तौलिए को दरवाजे के नीचे लगाएं ताकि धुआँ बाहर ही रहे।
- फोन नं0 101 पर दमकल विभाग को फोन करें और उन्हें अपना पूरा पता बताएं तथा 1077 पर आपदा कक्ष को सूचित कर उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराएं फिर दमकल विभाग जैसा जैसा करने को कहे प्रतीक्षा करें।

अगर मकान के अंदर आग लगी हो

- जमीन के नजदीक रहें ताकि धुआं ज्यादा प्रभावित न करें।
- दमकल विभाग का नंबर–101, पुलिस–100 व आपदा सूचना कक्ष–1077 एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं का नंबर टेलीफोन के पास चिपका कर रखें ताकि दुर्घटना के समय तुरंत फोन कर सकें तथा उन्हें स्थिति से अवगत करा सके।
- अगर आपके घर में बाल्कनी है और नीचे कोई आग नही लगी हो तो बाहर चले जाएं।
- अगर नीचे आग लगी हो तो खिड़की के करीब रहें पर उसे खोलें नही।
- अगर नीचे आग नहीं लगी हो तो खिड़की खोल दें तथा उसके करीब रहें
- खिड़की के बाहर कोई चादर या तौलिया लटका दें ताकि बाहर लोगों को पता चल सके कि आप वहाँ है और आपको मदद चाहिए
- शांत रहें और आग बुझाने वाले दल का इंतजार करें।

रसोई में लगी आग

यह बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि आप किस तरह का चूल्हा इस्तेमाल कर रहें हैं– गैस, हीटर, स्टोव या मिट्टी का।

स्टोव से सबसे ज्यादा आग लगने की संभावना होती है। ज्यादातर गांवों में मिट्टी का चूल्हा या स्टोव प्रयोग में आता है और वहां लगी आग पूरे घर को जला देती है क्योंकि छप्पर घास–फूस का बना होता है और पुआल आदि रसोई में ही रखा होता है। बिजली या गैस के चूल्हों में जैसे ही खाना बनाना खत्म हो तुरंत स्विच बंद कर दें। बिजली से चलने वाले चूल्हे बंद करने के बाद भी कुछ देर तक गर्म रहते हैं, जब तक कि वो ठंडा न हो जाए, सर्तक रहें।

मिट्टी के चूल्हे जिसमें लकड़ी या कोयले का जलावन की तरह इस्तोमाल होता है, काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि खाना बनाने के बाद भी अंगारे रह जाते हैं।

जलावन को जलाते समय चूल्हे को ऊपर से ढक दें ताकि चिनगारी उड़ कर छप्पर या पास रखे पुआल तक न पहुंच सके। खाना बनाने के बाद ध्यान रखें कि आग पूरी तरह बुझ जाए, अंगार पर पानी डाल दें। पानी अवश्य डालें अगर खाना बनाने के बाद घर में कोई बड़ा सदस्य न रहता हो। चूल्हे के पास कोई जल सकने वाली सामग्री न रखें जैसे– कैरोसीन तेल, फूस आदि।

Scanned with OKEN Scanner

सावधानियाँ - क्या न करें

- जब खाना बन रहा हो तो वहाँ कोई व्यस्क जरूर हो, बच्चों को अकेला न छोड़ें।
- खाना बनाते समय अपने बालों को बाँध कर रखें और सिन्थेटिक कपड़े न पहनें।
- ध्यान रखें कि चूल्हे के पास की खिड़की में लगे पर्दे पीछे की तरफ कस कर बंधे हों, लौ न उठे और न उड़े।
- ध्यान रखें कि गैस का स्विच तुरंत बंद कर दें अगर लौ नहीं जलती है और खाना पकाना खत्म होने के तुरन्त बाद बंद करे दें।
- हैंडल को स्टोव के बीचोंबीच न घुमाएं और इसे बच्चों से दूर रखें।
- ध्यान रखें कि फर्श हमेशा सूखी रहे। अन्यथा आग लगने के समय आप गीले फर्श के कारण गिर सकते हैं।
- माचिस बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

सावधानियाँ - क्या न करें

- तौलिये या बर्तन साफ करने वाले कपड़ों को स्टोव के आस–पास न रखें।
- खाना बनाते समय ढीले–ढाले कपड़े न पहनें और जब गैस जल रही हो गैस के ऊपर रखे सामान को न उतारें।
- स्टोव या गैस के ऊपर तख्ता शेल्फ पर कोई सामान न रखें।बेहतर होगा चूल्हे के ऊपर कोई तख्ता ही न लगाएं। वरना छोटे बच्चे सामान लेते वक्त गैस पर गिर सकते हैं और आग लग सकती है।
- स्प्रे कौन या ज्वलनशील सामग्री वाला डिब्बा स्टोव के पास कतई न रखें।
- बच्चों को खुले अवन के पास न जाने दे।
- स्टोव के ऊपर न झुके।
- तौलीये या कपड़े का इस्तेमाल सावधानी से गर्म बर्तन उतारने के लिए करें।
- बिजली के एक ही प्वांइट पर कई स्विच या एक्सटैंशन न लगाएं। तार पर अधिक भार पड़ने के कारण आग लग सकती है।
- तैलीय पदार्थ से लगी आग पर पानी न डाले या सिर्फ बेकिंग सोडा, नमक डालें या उसे ढक दे। हमेशा बेकिंग सोडा का डब्बा स्टोव के पास रखे।
- रेडियो, मिक्सी, आदि बिजली से चलने वाली वस्तुओं को बेसिन के पास न रखें।

सुझाव

- दमकल विभाग का नंबर फोन के पास रखें और ध्यान रखें कि घर के सभी सदस्यों को नंबर का पता हो।
- माचिस या लाइटर बच्चों से दूर रखें।
- अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोएं ताकि आग फैलना धीमा किया जा सके।
- अगर आपके कपड़ो में आग लगी हो तो कभी भी न दौड़े। रुके–नीचे लेट जाएं। जमीन पर रोल कर आग बुझाने की कोशिश करें।
- गांव स्तर पर झोपड़ियों के बीच दूरी रखें।
- निकासी के रास्ते साफ रखें।

Scanned with OKEN Scanner

- जानवरों के बाड़ों में धुआं न करें।
- खाना पकाने के पश्चात् आग पूरी तरह बुझायें।
- आग वाली जगहों पर बालू तथा मिट्टी के बोरे रखें।
- प्राथमिक चिकित्सा बाक्स प्रत्येक घर में रखें।
- तालाब,गड्ढों के पानी का दुरुपयोग न करें।

बिजली/तड़ित और बज्रपात

बज्रपात के दौरान खतरे

तड़ित/बज्रपात के दौरान कई लोग मरते या घायल होते हैं। कई घायल होने की घटनाएं सामने आयी–बज्रपात के समय टेलीफोन का इस्तेमाल करने से लगे बिजली के झटके से, बज्रपात के दौरन निम्नलिखित सावधानियां ध्यान में रखें।

तुरंत कार्यवाही करें

मिस्तरी से सलाह मश्विरा कर के घर में तड़ित–चालक लगवाएं।

अगर आप बाहर हों (बज्रपात के समय)

अगर बिजली चमकने के 10 सेकेण्ड के बाद गर्जन सुनाई देती है तो इसका मतलब वो आपसे 3 कि0मी0 दूर है। अतः तुरंत ही सुरक्षित आश्रय ढूंढ गर्जन और बिजली चमकने में जितना कम समय लगता उतना ज्यादा पास में होता।

अगर आप घर के अंदर हों

- आँधी आने के पहले टीवी, रेडियो, ओर कंप्यूटर सभी का मोडेम और पॉवर प्लग निकाल दें।
- सारे पर्दे लगा दें। खिड़कियां बंद रखें। बिजली से चलने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल न करें।
- टेलीफोन का इस्तेमाल न करें। आपातकालीन में फोन करें पर विद्युत चालक वस्तुओं को न छुएं। खाली पैर फर्श या जमीन पर न खड़े रहें।

प्राथमिक उपचार

तुरंत हृदय के पास मालिश करें, और मुंह द्वारा पुनरूजीवन क्रिया करें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि कोई मदद न पहुंचे। (आपके रोगी को बिजली नहीं लगेगी)

बज्रपात के तथ्य और कुछ गलत धारणाएं

- जब किसी पर बिजली गिरती है तो वो जल नहीं जाता बल्कि उसके हृदय और श्वास नली पर असर होता है।
- करीबन 30 प्रतिशत लोग जिस पर ब्रजपात होता है मरते हैं। अगर प्राथमिक उपचार सही समय पर दिया जाए तो लंबी बीमारी की संभावना भी बहुत कम हो जाती है।

Scanned with OKEN Scanner

- अगर आपके कपड़े गीले है तो आप पर बज्रपात का उतना असर नहीं होता क्योंकि आवेगित चार्ज कण गीले कपड़े से गुजर जाएगा न कि शरीर से।
- एक ही जगह पर बज्रपात कई बार हो सकता है।

बाढ़

सुरक्षा सुझाव

- घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो।
- अगर आपका घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हो तो मकान मजबूती से सीमेंट आदि से बनवाएं। मिट्टी के घर सबसे जल्दी ढह जाते हैं। आप ऐसा घर बनवा सकते हैं जिसकी दीवारें लोकल ईंटों से उस ऊँचाई तक बनी हो जहां तक बाढ़ आती है।

आपातकालीन बॉक्स हमेशा अपने पास रखें-

- एक छोटी रेडियो टार्च, बैटरी।
- पानी, सूखा भोज्य पदार्थ (चूड़ा, मूड़ी, गुड़, बिस्कुट, आदि) केरोसीन तेल, मोमबत्ती और माचिस आदि हमेशा स्टॉक कर रखें।
- पालीथीन बैग या वाटरप्रूफ बैग आदि रखें जिसमें कपड़े मंहगे सामान छाता, चीनी, नमक, और लकड़ी (सांप वैगरह भगाने के लिए)
- प्राथमिक उपचार बॉक्स मान्युअल और मजबूत रस्सी अपने पास हमेशा रखें।

बाढ़ आने की चेतावनी पर

- रेडियों या टीवी देखें चेतावनी व सुझाव के लिए।
- ध्यान रखें स्थानीय अधिकारी की चेतावनियों पर।
- अफवाह पर ध्यान न दें और घबराएं ना।
- बैलगाड़ी, कृषि उपयुक्त सामान या मशीन और पालतू जानवर को ऊँची सुरक्षित जगह पर ले जाएं।
- यह सोच कर तय कर लें कि कौन सा सामान आप फेंक सकते हैं अगर बाढ़ आ गई। आपातकालीन बॉक्स को चेक करें।

बाढ़ के दौरान

- उबला हुआ पानी पियें।
- खाना ढक कर रखें। ज्यादा खाना न खाएं। हल्का भोजन करें।
- कच्चा चावल का पानी नारियल पानी आदि का दस्त के समय सेवन करें और अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को संपर्क करें उपचार के लिए।
- बच्चों को भूखा न रहने दें।
- ब्लीचिंग पाउडर आदि से घर के पास साफ रखें।
- अधिकारी की सहायता सामग्री बांटने में मदद करें।

अगर जगह खाली करनी हो तो

- सबसे पहले गर्म कपड़े जरूरी दवाएं कीमती वस्तु, निजी कागज आदि को वाटर प्रूफ बैग में डाल दें और आपातकालीन बॉक्स के साथ रखें।
- स्थानीय स्वयंसेवक (अगर हो तो) को सूचित करें आप जहां जा रहे हैं। फर्नीचर, कपड़े, कीमती चीजों को पलंग के ऊपर बिजली के सामानों को रखें।

Scanned with OKEN Scanner

- मेन पॉवर बंद कर दें।
- चाहे आप रहें या कहीं सुरक्षित जगह पर जाएं, पर लैटरीन में बालू से भरी बोरियां डालें और नाली या किसी भी प्रकार के छेद को बंद कर दें ताकि पानी वापस न आए।
- घर में ताला लगाएं और बताए हुए सुरक्षित रास्ते का ही उपयोग करें।
- अगर पानी की गहराई की जानकारी न हो तो उसे कभी भी पार करने की कोशिश न करें।

अगर बाढ़ के दौरान आप घर पर ही रूके हों या वापस लौटे हों तो

- रेडियों द्वारा ताजा जानकारी व सुझाव लेते रहें।
- बच्चों को बाढ़ के पानी के पास या पानी में न खेलने दें।
- बाढ़ के पानी में जाने से बचें।
- अगर पार करना आवश्यक हो तो जरूरी कपड़े व जूते पहने गहराई व बहाव लकड़ी की सहायता से जांचे।
- बिजली वाली वस्तुओं का इस्तेमाल न करें जब तक की उसे जांचा न गया हो, हो सकता है उसमें बाढ़ का पानी चला गया हों।
- वैसा कोई भी भोज्य पदार्थ का सेवन न करें जो कि बाढ़ के पानी से प्रभावित हुआ हो।
- नल के पानी को उबालकर तब तक पिये जब तक कि जल विभाग उसे सुरक्षित न घोषित कर दे। गांव में चापाकल का पानी जमा करें और हैलोजेन की गोलियां पानी पीने के पहले पानी में डालें।
- सांप से बच कर रहें।

भूकंप

- भूकम्प आने के पहले कोई चेतावनी नहीं देता है।

भूकंप आने के पहले

- यह बिलकुल सही समय जब आप अपने व अपने परिवार के लिए सुरक्षा योजना [illegible]। भूकंप के आने का इंतजार न करें, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी।
- निम्नलिखित वस्तुओं को हमेशा किसी निश्चित और आसानी से मिलने वाली [illegible] पर रखें:– पानी की बोतल, वैसा भोजन जो जल्दी खराब न हो सके जैसे– चूड़ा, गुड़, [illegible], प्राथमिक उपचार बॉक्स, व बैटरी से चलने वाला रेडियो।
- सभी सदस्य को बिजली और गैस बंद करना सिखाएं।
- घर में ऐसी जगहों को ढूंढे जो कि भूकंप के दौरान सुरक्षा प्रदान कर सकता हो।
- भूकंप के दौरान लम्बी दूरी का फोन/एस.टी.डी. आसानी से लग सकता है। एक ऐसे रिश्तेदार का चयन करें जो शहर से बाहर रहता हो और आपातकाल में आपकी मदद कर सकें। अगर किसी कारणवश परिवार के सदस्य अगल बिछड़े जाते हैं तो इस रिश्तेदार का पता व फोन न0 परिवार के सभी सदस्यों के पास होना चाहिए।

घर को सुरक्षित करें

अपने घर की संरचना में भूकंप से सुरक्षित मापदण्डों को ध्यान में रख कर फेरबदल करें। नींव व बनावट ढांचा को मजबूत बनाएं। किसी का काबिल ठेकेदार से सलाह मश्विरा कर के मकान के गठन में बदलाव ला सकते हैं।

कच्चे मकान भी कुछ आवश्यक फेरबदल कर के मजबूत बनाए जा सकते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

भूकंप के दौरान

भूकंप कोई पूर्व संकेत नहीं देता है। कभी–कभी कुछ सेकेण्ड पहले जोर की घरघराहट संकेत दे जाती है। ये कुछ सेकेण्ड आपको किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचने की मोहलत देते हैं।

भूकंप के दौरान क्या करें

- टेबल, पंलग, या मजबूत व दृढ़ फर्नीचर के नीचे चले जाएं। फर्श के नजदीक रहें, बैठ जाएं या लेट जाएं। संतुलन के लिए फर्नीचर को कसकर पकड़ लें। फर्नीचर के हिलने पर हिलने के लिए तैयार रहें।
- अगर आस–पास कोई मजबूत फर्नीचर न हो तो फर्श पर बैठ जाएं किसी मजबूत दीवार के पास अपने हाथों को फर्श पर रखें संतुलन के लिए।
- दरवाजे के रास्ते में न खड़े रहें क्योंकि हड़बड़ाहट में झटके से दरवाजा गिर सकता है। भूकंप के दौरान गिरते हुए समानों से भी चोट लग सकती है।
- खिड़की, आइना, किताब, के तख्ते या अन्य किसी भारी वस्तु से दूर चले जाएं।
- अगर आप पंलग पर हैं तो वहीं रहें और अपने आप को तकिया व कंबल से ढक लें।
- अगर आप घर के अन्दर हैं तो बाहर न जाएं और लिफ्ट तो कतई इस्तेमाल न करें।
- अगर कच्चे मकान में रह रहें हैं तो तुरंत ऐसी खुली जगह में चले जाएं जहां पेड़ या बिजली या टेलीफोन के पोल न हो।

अगर आप बाहर हैं तो

- तुरंत खुली जगह पर जाएं बड़ी, बिल्ड़िग, बिजली के पोल बड़े पेड़ या बिजली या टेलीफोन के तार से दूर रहें जब तक भूकंप खत्म न हो जाएं खुली जगह में ही रहें।
- अगर भूकंप से आपका घर बुरी तरह टूट चूका है तो, पानी, सूखा खाना, जरूरी दवा और कागजों को लेकर घर छोड़ दें।
- उन जगहों से दूर ही रहें जहां बिजली के तार बिखरे हुए हो किसी भी मेटल को न छूए, जो बिजली के तार के सम्पर्क में हो, झटके लग सकते हैं।
- दुबारा टूटे घर में प्रवेश न करें और किसी भी क्षतिग्रस्त इमारत से दूर रहें।

अगर आप गाड़ी में हैं तो

बड़ी–बड़ी इमारतों पेड़, पोल, तार, आदि से दूर रहें। खाली व सुरक्षित जगह में पहुंचते ही रूक जाएं व गाड़ी के अन्दर ही बैठे रहें। भूकंप रूक जाए तो ध्यान से आगे बढ़ें भूकंप के दौरान पुल से कभी न जाएं हो सकता है आगे टूटा हो।

भूकंप के बाद

भूकंप के बाद बर्ती जाने वाली सावधानियां अपनी निजी सुरक्षा के लिए अति आवश्यक हैं:–

- मलबे से बचाव के लिए जूता चप्पल पहनें।
- पहले झटके के बाद और झटकों के लिए तैयार रहें। हालांकि दूसरा–तीसरा झटका उतना प्रभावशाली नहीं होता है फिर भी टूटी हुई इमारत को क्षति पहुंचती है। बाद के झटके कभी भी आ सकते हैं घंटों, दिनों, हफ्तों या महीनों बाद कभी भी।
- मोमबत्ती या लालटेन की जगह टॉर्च का प्रयोगा करें। अग्नि दुर्घटना की संभावना परखें और एहतियात बरतें।
- अगर आप जिस मकान में है वो भूकंप के बाद सही सलामत है तो उसके अंदर ही रहें और रेडियो

Scanned with OKEN Scanner

सुनें। किसी सलाह के लिए, अगर आपको घर की क्षति का अनुमान नहीं है तो तुरंत मकान छोड़ दें व पॉवर कतई न छुएं।

- घायल व फंसे लोगों की मदद करें, जहां जरूरत हो प्राथमिक उपचार दें। बुरी तरह घायल को न हिलाए जब तक कि अति आवश्यक न हो। मदद के लिए आवाज दें।
- अपने पड़ोसियों की मदद करना न भूलें, खास कर, बच्चे बूढ़े व विकलांग की।
- आपातकालीन सूचना के लिए बैटरी से चलने वाली रेडियो सुनें।
- क्षतिग्रस्त इमारत से दूर रहें।
- घर तब ही वापस लौटें जब अधिकारी कहें। घर साफ करें उस क्षेत्र में न जाएं जहां से किसी गैस या रसायन की महक आ रही हो। दरवाजा या अलमारी को ध्यान से खोलें।

- अगर गैस की महक आए सा सिसकार सुनाई दे तो खिड़कियां खोल दें, गैस सिलेंडर बंद कर दें और तुरंत घर से बाहर निकल जाएं।
- अगर तार जलने की बू आए या कोई चिनगारी दिखे तो मेन स्विच बंद कर दें। अगर मेन स्विच तक पहुंचने के लिए पानी पार करना पड़ता है तो बिजली मिस्त्री की सलाह से सुरक्षा इंतजाम करें।
- पानी के पाइप या लाइन में कोई क्षति हुई है या नहीं देखे अगर कोई क्षति हुई हो तो उस पानी को इस्तेमाल न करें।
- जरूरी फोन करने के लिए टेलीफोन का प्रयोग करें।
- अगर भूकंप के दौरान परिवार के सदस्य बिछड़ गए हैं बड़े दफ्तर और बच्चे स्कूल हो तो कोई योजना पहले से बनाकर रखें कि कैसे और कहां दुबारा सब एक हों। किसी दूर के रिश्तेदार को परिवार के संपर्क का जरिया बना सकते हैं और परिवार के हर सदस्य को उस रिश्तेदार का फोन व पता मालूम होना चाहिए।

सर्दी/ठंड से बचाव

- अपने शरीर को विशेषकर सर व कान को ढक कर रखें।
- अधिक समय तक खाली पेट न रहें।
- ताजा भोजन एवं शरीर में ढाई से चार लीटर तक पानी का सेवन प्रतिदिन करें।
- पीने के लिये स्वच्छ एवं ताजा जल का प्रयोग करें।
- अधिक ठंड में गर्मी देने वाली वस्तुएं जैसे अलाव, अंगीठी आदि से शरीर की सेंकाई करें।
- बच्चों पर विशेष ध्यान रखें उनके सर व पैर ऊनी कपड़े से ढककर रखें आवश्यकतानुसार तेल की मालिश करें।
- बंद कमरे में अंगीठी/कोयला जलाकर न छोड़े क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड गैस प्राणघातक हो सकती है इसलिए खिड़की या रोशनदान थोड़ा खुला रखें।
- सोने से पहले अलाव अंगीठी/हीटर को बन्द करके सोयें।
- जानवरों को ठंड से बचाव हेतु बोरी/टाट उनके शरीर में बांधकर घर के अन्दर रखें।
- धूप में ज्यादा से ज्यादा देर तक बैठें।

Scanned with OKEN Scanner

4. ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्य योजना

1. सामान्य परिचय :

ग्राम पंचायत	
ग्राम प्रधान का नाम व दूरभाष	
ग्राम विकास अधिकारी का नाम व दूरभाष नं0	
राजस्व उपनिरीक्षक का नाम व दूरभाष नं0	
तहसील	
विकासखण्ड	
जनपद	उत्तरकाशी

2. सामान्य सूचनायें :

कुल परिवारों की संख्या		स्कूलों में छात्र संख्या	
कुल जनसंख्या		पंचायत सदस्यों की संख्या	
पुरूष		जन संचार का माध्यम	
महिलायें		भवनों की संख्या	
पशुधन की संख्या		मुख्य पैदावार	
साक्षरता केन्द्र/प्रौढ़ शिक्षा		विकलांगों की संख्या	
स्कूलों की संख्या विवरण		कुल तोको की संख्या एवं नाम	

3. शिक्षण संस्थान एवं छात्रों का वर्गीकरण :

आयु वर्ग (वर्ष में)	छात्रों की संख्या	आयु वर्ग (वर्ष में)	छात्रो की संख्या
4–6		13–16	
7–12		16 से अधिक	

4. जनसंख्या :

SC		ST		OBC		GEN		Total	
महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष

5. भौगोलिक विवरण:

कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (हे0)	कृषि योग्य भूमि (हे0)	वन भूमि (हे0)	चारागाह (हे0)	बंजर व अन्य भूमि (हे0)

Scanned with OKEN Scanner

6. जीविकापार्जन का विवरण :

जीविकापार्जन के तरीके	लोगों की संख्या	परिवारों की संख्या
कृषि		
खेतीहर मजदूर		
अन्य मजदूर		
दस्तकारी		
छोटा–मोटा व्यवसाय		
नौकरी		
अन्य		

7. संसाधन सूची :

संख्या	मूलभूत संरचनाएँ	हाँ	नहीं	सड़क मार्ग से दूरी	सम्पर्क व्यक्ति का दूरभाष नं0
1	विकासखण्ड कार्यालय				
2	ग्राम पंचायत कार्यालय				
3	संसाधन केन्द्र				
4	ऑगनवाड़ी				
5	बालवाड़ी				
6	विद्यालय–प्राथमिक				
7	माध्यमिक				
8	अन्य–संकुल भवन, मंदिर, गुरूद्वारा, मस्जिद गिरजाघर				
9	दूरभाष सुविधा				
10	आवश्यक सामग्री की दुकान				
11	पोस्ट ऑफिस				
12	थाना/आउटपोस्ट				
13	सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान				
14	स्वास्थ्य सुविधाएं : स्वास्थ्य केन्द्र(उप) :प्रा0स्वा0 केन्द्र :ए0एन0एम0/आशा :आर0एम0पी0 :अन्य				
15	दूरदर्शन/रेडियो				
16	सड़क				
17	पशु चिकित्सा केन्द्र				
18	दुग्ध–सहकारी संघ				
19	स्वयंसेवी संस्थाएं/संगठन				
20	अन्य				

Scanned with OKEN Scanner

8. गॉव के संगठन :

संख्या	संगठन के प्रकार	सदस्यों की संख्या	टिप्पणी
1	महिला मंगल दल		
2	युवक मंगल दल		

9. संकट/संवेदनशीलता का आंकलन : आपदा का इतिहास (पिछले 20 वर्ष का)

संख्या	आपदा	वर्ष	क्षति का विवरण				
			जन हानि	पशु हानि	फसल	भवन	सार्वजनिक सम्पत्ति
1	शीतलहर						
2	ओलावृष्टि						
3	बादल फटना						
4	आकाशीय विद्युत						
5	बाढ़						
6	भूकम्प						
7	भूस्खलन						
8	आगजनी						
9	बर्फबारी						
10	सूखा						
11	अन्य						

10. आपदा का मौसमी बारम्बारता:

संख्या	आपदा	माह			
		जनवरी–मार्च	अप्रैल–जून	जुलाई–सितम्बर	अक्टूबर–दिसम्बर
1	शीतलहर				
2	ओलावृष्टि				
3	बादल फटना				
4	आकाशीय विद्युत				
5	बाढ़				
6	भूकम्प				
7	भूस्खलन				
8	आगजनी				
9	बर्फबारी				
10	सूखा				
11	अन्य				

Scanned with OKEN Scanner

11. खतरे के स्थान से दूरी :

संख्या	खतरा	गाँव से दूरी	टिप्पणी
1.	नदी		
2.	तटबन्ध		
3.	बाँध / पुल		
4.	टूटने का स्थान		
5.	अन्य		

12. जोखिम समूह आंकलन :

क्र.सं.	जोखिम समूह	संख्या	टिप्पणी
1.	गर्भवती महिला / दूध पिलाती माताएँ		
2	पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे		
3.	वृद्ध / लाचार		
4.	अकेली / विधवा महिलाएँ		
5.	अपंग / विकलांग		
6.	बीमार / रोगी		
7.	छप्पर / मिट्टी के घर		
8.	बाँध के पास के घर		
9.	अन्य		

13. विद्युत आपूर्ति:
14. जलापूर्ति :
15. संचार व्यवस्था :
16. स्वास्थ्य केन्द्र :
17. यातायात के साधन:

18. आपदा पूर्व तैयारी:

(क) सुरक्षित स्थान.....

.....

ख) सूचना तंत्र.....

.....

ग) आश्रय स्थल की सूचनाः–

15. ग्रामस्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति के सदस्यों की सूची:

क्रं सं.	नाम	उम्र	पिता / पति का नाम	राजस्व ग्राम / तोक	शैक्षिक योग्यता	पद / व्यवसाय	दूरभाष	हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

16. ग्राम की आम सभा से सहमति प्रस्ताव:

राजस्व उपनिरीक्षक का नाम हस्ताक्षर	ग्राम विकास अधिकारी का नाम हस्ताक्षर	ग्राम प्रधान का नाम हस्ताक्षर

ग्राम संसाधन मानचित्र

ग्राम का सामुदायिक जोखिम मानचित्र:

Scanned with OKEN Scanner

5. ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति

जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये गये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों, रोकथाम, पूर्व तैयारी, आपदा के समय खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण, आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं का निर्माण एवं खोज व बचाव दलों को गठित किये जाने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है:–

1.	ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2.	राजस्व उपनिरीक्षक	सह–अध्यक्ष
3.	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
4.	प्रधानाचार्य, प्रा0वि0 / उ0प्रा0वि0 / जू0हा0 / इण्टर	सदस्य
5.	अध्यक्ष, महिला स्वयं सहायता समूह / महिला मं0 दल / यु0मं0 दल	सदस्य
6.	सरपंच वन पंचायत	सदस्य
7.	आंगनबाड़ी कार्यकर्ती	सदस्य
8.	ए0एन0एम0 / आशा कार्यकर्ती	सदस्य
9.	ग्राम प्रहरी	सदस्य
10.	ग्राम स्तरीय स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समितियां प्रत्येक माह कि निश्चित तिथि को आवश्यक रूप से बैठक करेंगी तथा गांव की आपदाओं के प्रति खतरों को चिन्हित कर, खतरों से निपटने हेतु ग्राम स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित करेगी। यह समिति गांव की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायें तैयार कर तहसील कार्यालय में उपलब्ध करायेगी। ग्राम स्तर पर युवाओं को शामिल करते हुये खोज व बचाव दलों का गठन करेगी। किसी भी आपदा से पूर्व आपदा पूर्व तैयारी के अर्न्तगत गांव को आपदाओं से बचाने हेतु आवश्यक उपाय करेगी तथा आपदा के समय खोज व बचाव तथा आपदा पश्चात राहत व पुर्नवास कार्यो में प्रशासन को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। यह समिति आपदा के पश्चात ग्राम स्तर पर हुयी क्षति का आंकलन करेगी तथा राजस्व उपनिरीक्षक के माध्यम से क्षति की सूचना तहसील स्तर पर उपलब्ध करोयगी। यह समिति किसी भी आपदा की सूचना सम्बन्धित तहसील अथवा जिला आपातकालीन परिचलान केन्द्र को देगी तथा राहत व बचाव दलों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

उक्त दल के साथ संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से निम्न कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करेंगे:–

1. ग्राम स्तरीय क्षति का आंकलन।
2. तहसील मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय को सूचनाओं का प्रेषण।
3. अवस्थापना संबंधी यथा–बिजली, पानी, सड़क, पुल, राजकीय सम्पत्ति की क्षति की प्राथमिक सूचना।

Scanned with OKEN Scanner

6. तहसील आपदा प्रबन्धन समिति

जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों, रोकथाम, पूर्व तैयारी, आपदा के समय खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण व विभागीय समन्वयन किये जाने तथा आपदा के पश्चात तात्कालिक व दीर्घकालिक राहत कार्यो हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद उत्तरकाशी की समस्त तहसीलों में तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का निम्नवत् गठन किया गया है:–

1.	उप जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी	सदस्य
3.	तहसीलदार	सदस्य
4.	तहसील अन्तर्गत थानाध्यक्ष	सदस्य
5.	तहसील अन्तर्गत चिकित्साधिकारी	सदस्य
6.	तहसील अन्तर्गत पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य
7.	तहसील अन्तर्गत अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
8.	तहसील अन्तर्गत सहा0अभि0, लो0नि0वि0	सदस्य
9.	तहसील अन्तर्गत सहा0अभि0 सिंचाई	सदस्य
10.	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियन्ता जल संस्थान	सदस्य
11.	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियन्ता पेयजल निगम	सदस्य
12.	तहसील अन्तर्गत एस0डी0ओ0, विद्युत विभाग	सदस्य
13.	तहसील अन्तर्गत एस0डी0ओ0, बी0एस0एन0एल0	सदस्य
14.	तहसील अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
15.	तहसील अन्तर्गत पूर्ति निरीक्षक, जि0पूर्ति0वि0	सदस्य
16.	तहसील अन्तर्गत अधि0अधि0, नगर पालिका/पंचायत	सदस्य
17.	तहसील अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य
18.	तहसील अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य

तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समितियॉ प्रत्येक माह कि निश्चित तिथि को आवश्यक रूप से बैठक कर तहसील स्तर पर संसाधनों का चिन्हीकरण कर तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजन विकासित करेगी, जिससे तहसील स्तर पर घटित आपदाओं की संख्या, न्यूनीकरण उपाय तथा समिति द्वारा आपदाओं की रोकथाम हेतु प्रयास करेगी।

Scanned with OKEN Scanner

7. विद्यालय आपदा प्रबन्धन योजना

- उददेश्य
- योजना की आवश्यकता
- योजना के नियम व सिद्धान्त

विद्यालय आपदा प्रबन्धन योजना के चरण-

- अध्यापक व विद्यालय प्रबन्धन के संवेदीकरण हेतु जागरूकता गोष्ठी।
- विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति का गठन।
- जोखिम की पहचान तथा सुरक्षा का आंकलन।
- विद्यालय आपदा प्रबन्धन कार्य योजना का निर्माण।,
- आपदा प्रबन्धन कार्य योजना का प्रचार–प्रसार।
- कृत्रिम प्रशिक्षण (Mock drill) का नियमित मूल्यांकन।
- प्रभावी कार्य योजना हेतु कार्ययोजना का नियमित मूल्यांकन।
- विद्यालय आपातकालीन कार्ययोजना (चैक लिस्ट)।

नीतिः-

1. शैक्षिक संस्थाओं व शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में आपदा की संवेदनशीलता को कम करना।
2. जोखिम के स्तर को स्वीकारते हुए परिभाषित करना।
3. विद्यालय के लिए आपदा न्यूनीकरण कार्य योजना का निर्माण।
4. शिक्षण स्थलों में प्राकृतिक खतरों की संवेदनशीलता को कम करने के लिए नीतियां और प्राथमिकता पहचानना जो प्राकृतिक आपदाओं को कम करेगी।

प्रक्रियाः-

1. विद्यालय कार्ययोजना में प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनीकरण को सम्मिलित करने के ढ़ंग।
2. विद्यालय भवन में कक्षों की संख्या, उनकी स्थिति, बनने की तिथि उनके बहुउपयोगी तरीके और किन आपदाओं से ग्रसित होने की संभावना है।
3. संरचनात्मक न्यूनीकरण में व्यय।
4. गैर संरचनात्मक न्यूनीकरण तकनीकों को अपनाना।

परिचय- उद्देश्यः-

आपदा काल नियोजन का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की आपात समय में सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

योजना की आवश्यकताः-

विद्यालय ऐसा स्थान है जिसमें एक ही स्थान पर बहुतायत मे बच्चे पढ़ते है। यही समाज का सबसे अधिक संवेदनशील हिस्सा भी है। विद्यालय की संवेदनशीलता को न्यूनतम करने के लिये विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबन्धन कार्य योजना का निर्माण किया जाय, विद्यालय में कई संसाधन होते है और समाज का प्रमुख अंग भी है। विद्यालयों की जिम्मेदारी इसलिये अधिक हो जाती है कि जहां विद्यालय को अपनी सुरक्षा के अतिरिक्त नजदीकी समुदाय की सुरक्षा का भी ध्यान देना होता है।

योजना के सिद्धान्तः-

कार्य योजना के निर्माण के समय निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुये विद्यालयों में विभिन्न

Scanned with OKEN Scanner

समितियों को विकसित करने के अलावा कुछ विशेष व्यवस्था एवं उपाय भी किये जायें जो कि आपातकाल में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

साधारण:-

कार्य योजना सूक्ष्म हो, दायित्व एवं जिम्मेदारियाँ स्पष्ट होनी चाहिये, आपातकाल निर्माण करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि आपातकाल के दौरान प्रयोग किये जाने वाले तरीके सरल रूप में हो ताकि जिनसे अपेक्षा की जा रही है वे उसे ध्यान रख सकें।

परामर्श:-

योजना निर्माण के दौरान विद्यालय समुदाय के विभिन्न स्तरों जैसे विद्यार्थी, शिक्षक एवं कर्मचारी के सुझावों एवं विचारों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि योजना विद्यालय के सभी वर्गों को सुगम हो, लोगों को योजना निर्माण के लिये किया गया कार्य प्रयास सर्वोच्च है।

इस योजना को समस्त विद्यालय के लोगों को जानना आवश्यक है। यह योजना अभिभावकों को भी अवगत करानी चाहिये जिससे आपदा के समय अव्यवस्था न हो।

पुनर्मूल्यांकन:-

इस योजना का नियमित रूप से पुनर्मूल्यांकन प्रयोग होना चाहिये। जिससे इसकी कार्य क्षमता कम न हो।

दायित्व:-

योजना में शिक्षकों व विद्यार्थियों की सीमाओं एवं दायित्वों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। यह विद्यालय की जिम्मेदारी है कि वह अपने स्टाफ तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा को महत्व दे, साथ ही यह भी ध्यान दें कि आपदा के वक्त वे स्वयं का बचाव करते हुए ही राहत एवं बचाव के कार्य करें।

अध्यापक एवं विद्यालय प्रबन्धन को संवेदनशील बनाने हेतु जागरूकता बैठक:-

विद्यालय आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण से पूर्व विद्यालय के समस्त प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाने हेतु जागरूकता बैठक का आयोजन किया जाना चाहिये।

- प्रधानाचार्य
- उप प्रधानाचार्य
- प्रबन्धकारिणी समूह
- सभी अध्यापक

छात्र नेता (सर्वश्रेष्ठ विधार्थी विभिन्न क्लबों के सदस्य, सदन प्रमुख, Head boy and head girl आदि)

विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति का गठन:-

समन्वयक समूह आपदा जागरूकता समूह तथा आपदा जवाबदेही समूह जैसे तीन समूहों का निर्माण किया जाना चाहिए जिनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्वों का उल्लेख स्पष्ट हो। उक्त समूहों में से हम सर्वप्रथम समन्वयक समूह, विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति का जिक्र करेंगे।

विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति, समन्वयक समिति के सदस्य:-

- अध्यक्ष – प्रधानाचार्य
- उप–प्रधानाचार्य प्राइमरी एवं माध्यमिक स्तर के प्रमुख

Scanned with OKEN Scanner

- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी
- अध्यापक–अभिभावक संघ के अध्यक्ष
- 1–2 अभिभावक (कम से कम 1 महिला)
- 4 विद्यार्थी (आपदा जागरूकता समूह छात्र नेता आपदा जवाबदेही समूह छात्र नेता, head boy and head girl)।
- आपदा प्रबन्ध एवं न्यूनीकरण दल सदस्य, जिला प्रशासन, नगर पालिका के प्रतिनिधि।
- अग्निशमन सेना के प्रतिनिधि (नजदीकी पुलिस स्टेशन से)
- स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि
- रेडक्रास प्रतिनिधि
- प्रशासनिक, लॉजिस्टिक ऑफीसर, विद्यालय के मैनेजर
- स्थानीय समुदाय का प्रतिनिधि
- स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं (एन०जी०ओ०) के प्रतिनिधि
- स्थानीय समुदाय के व्यापार संघ के प्रतिनिधि
- स्थानीय डॉक्टर
- अन्य (एन०सी०सी०, एन०एस०एस० स्काउट–गाइड्स तथा नेहरू युवा केन्द्र संगठन के सदस्य आदि)

विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

- विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति के सदस्यों को विषय विषयक सिद्धान्तों एवं नीतियों की समझ होनी आवश्यक है। जिससे कि आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का निर्माण एवं छात्र कल्याण के लिए कार्य बृहतर ढंग से किया जा सके।
- विद्यालय आपदा प्रबन्धन योजना का मूल्यांकन
- वर्ष में दो बार कृत्रिम अभ्यास (मौक ड्रिल) का आयोजन
- नियत अन्तराल मे कार्ययोजना में सुधारीकरण (वर्ष में एक बार तथा किसी विशेष आपदा के बाद) यह जानने के लिए कि योजना कितनी प्रभावी है।
- विद्यालय के विभिन्न आपदाओं (भूकम्प, भूस्खलन, बादल फटना, आग आदि) के लिए सुरक्षा आवश्यकताओ का ध्यान रखना। चिहिन्कृत जोखिमों के प्रति विद्यालय भवन की जांच तथा चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यक मापदण्डों का उल्लेख करना।
- विद्यालय में उचित तैयारियों के लिए एवं सामान्य स्थिति के मापदण्डों हेतु विद्यालय फण्ड, कॉरपोरेट सेक्टर सिविल सोसाइटीज तथा विभिन्न विभागों से सम्पर्क स्थपित करते हुए फंड की व्यवस्था करना।
- आपदा के दौरान विद्यालय आपदा प्रबन्ध समिति विभिन्न समूहों एवं दलों को संचालित करेगी।
- विद्यालय आपदा प्रबन्ध समिति द्वारा मीडिया की व्यवस्था करना।
- आपदा से प्रभावित बच्चे तथा अन्य (कोई बाहरी व्यक्ति भी) जिसे विद्यालय में शरण ली हुई हो उनके लिए राहत कार्य तथा बाहरी मदद आदि की व्यवस्था करना।
- आवश्यकता पडने पर विद्यालयी बच्चे व अन्य के लिए शरण हेतु अलग स्थान का चिन्हिकरण करना।

जोखिम की पहचान एवं सुरक्षा का आंकलन

1. क्षेत्र मे सम्भावित संरचनात्मक एवं असंरचनात्मक जोखिम की पहचान–

कृत्रिम अभ्यास के प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करते हुए किसी पूर्व निर्धारित निकासी मार्गों के माध्यम से खेले एवं सुरक्षित स्थान पर ले जा कर छात्रों द्वारा अपने अनुभवों की

Scanned with OKEN Scanner

जानकारी जानने के साथ–साथ अन्य प्रमुख संभावित जोखिमों के बारें में बताया जाए। संभावित जोखिमों की सूची निम्नवत है।

- विद्युत फेल होना। (क्या वहां आकस्मिक विद्युत की व्यवस्था है)
- सीढ़ियों का टूटना या सीमेंट, टाइल्स एवं दीवारों के प्लास्टर गिरने से मार्ग अवरूद्ध।
- मेज, अलमारियों व अन्य सामग्री से कक्ष हॉल का अवरूद्ध होना।
- हॉल में धुंआ भर जाना।
- दरवाजे या खिड़कियां जाम होना।
- भवन के भीतर ईंट, शीशे तथा अन्य टुकड़ों का टूटना जबकि बाहर बिजली के तारों का जमीन पर गिरे होना।
- लटकी हुई छतें।
- बिजली फिटिंग की लटकती हुई स्थिति।
- बड़ी खिड़कियों के टूटने की अधिक संभावनाऐं।
- किताबों की अलमारी या अन्य अलमारी अगर वे दीवार से नहीं कसे हुये है तो गिरने की संभावना।
- कक्षाओं में ऊँचे स्थानो पर रखे हुये सामान जैसे–कम्प्यूटर, टी0वी0, वी0सी0आर0, स्टीरियों और स्लाइड प्रोजेक्टर आदि का गिरना।
- पानी की टंकियों के टूटने या गिरने की संभावना।
- ज्वलनशील द्रव्यों व पदार्थों से आग लगने या अन्य हानि की संभावना।
- विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपकरणों बोतलो एवं अन्य के क्षतिग्रस्त होने तथा आग लगने से जोखिम की संभावना।

सर्वे के समन्वयन करते समय ध्यान रखने योग्य बिन्दुः-

- विभिन्न कक्षाओं, मैदान, कमरों आदि के सर्वे के लिये जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दें।
- समन्वयन समिति (को–आर्डिनेशन कमेटी) जिसमें अध्यापक, हेड बॉय हेड गर्ल, स्पोर्टस कैप्टेन तथा सर्वश्रेष्ठ छात्र, छात्रा आदि शामिल हैं, का दायित्व सूचनायें एक दायित्व सूचनायें एकत्रित कर कार्ययोजना निर्माण करना है।
- ऐसे क्षेत्र जिनमें भूकम्प, बाढ़, भूस्खलन, आग की समस्या हो सकती है चिन्हीकृत कर जन समुदाय के सम्मुख समय–समय पर रखे जायं।
- उत्कृष्ट किये गये कार्यों के लिए संबंधित व्यक्तियों को किसी अवसर विशेष पर सम्मानित किया जाना चाहिये।

विद्यालय में उपलब्ध संसाधनः-

विद्यालय के समस्त संसाधनों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जैसे–

- कुशल मानव संसाधन (Skilled Human Resources) की सूची अध्यापक तथा विधार्थी जिनके पास प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव (फर्स्ट एड, रैस्क्यू) का ज्ञान हो।
- विद्यालय में उपलब्ध अन्य संसाधनों की सूची होनी चाहिए जैसे स्ट्रेचर, अग्नि शमन यंत्र सीढ़ियां, मोटी रस्सी, टॉर्च संचार तंत्र तथा प्राथमिक चिकित्सा का सामान, विद्यालय परिसर के अन्दर खुला स्थान।
- नजदीकी स्थानों पर उपलब्ध अति विशिष्ट संसाधनों की सूची।
- स्थानीय क्षेत्र अन्तर्गत पाये जाने वाले संसाधनों का आंकलन एवं दस्तावेजीकरण जिसमें सम्पूर्ण विवरण जैसे, नाम, पता, फोन नम्बर आदि किया जाय जैसे विद्यालय के नजदीक चिकित्सालय

Scanned with OKEN Scanner

चिकित्सकों की संख्या उपलब्ध शैय्याओं की संख्या ब्लड बैंक पुलिस अधिकारियों इत्यादि।

विद्यालय आपदा प्रबन्धन कार्य योजना निर्माण की तैयारी हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुः

(1) विद्यालय भवन की भौतिक स्थिति (Physical location) तथा उसके आसपास के क्षेत्र का विवेचनात्मक विवरण।

विद्यालय भवन की भौतिक स्थिति एवं उसके आस–पास के क्षेत्र का विवेचनात्मक विवरण करते समय निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं को मानचित्र पर इंगित जाना चाहिए।

- क्षेत्र में विद्यालय की स्थिति
- विद्यालय में कक्षाओं की संख्या (पक्के RCC, और कच्चे कक्ष)
- अध्यापकों के कमरे (कितने एवं कहां पर स्थित)
- विद्यालय परिसर के अन्दर खेल का मैदान या खुली जगह

(2) संसाधनों की विद्यालय में उपलब्धता एवं उनका स्थान

- कक्षा में कुशल मानव संसाधनों की संख्या विद्यार्थी तथा अध्यापक) का चिन्हीकरण।
- विद्यालय में अन्य प्रमुख संसाधनों की उपलब्धता, स्थान एवं संख्या जैसे–
- स्ट्रेचर
- अग्नि शमन यंत्र
- सीढ़ियां
- मोटी रस्सियां
- टॉर्च
- संचार तंत्र (टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट इत्यादि)
- फस्ट एड बॉक्स
- विद्यालय परिसर में उपलब्ध खुला स्थान

(3) निकटतम उपलब्ध विशिष्ट संसाधनों का मानचित्रीकरणः–

इस प्रकार का मानचित्रीकरण चपाती द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है जिसमें, निकटतम उपलब्ध संसाधनों जैसे फायर सर्विस स्टेशन, अस्पताल, प्राइमरी हैल्थ सेंटर, डिसपेंसरी, प्राइवेट क्लीनिक, मेडिकल शॉप रेडक्रास, जिलाधिकारी का कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (DEOC), या District Control Room, पुलिस स्टेशन, एन0सी0सी0 तथा नेहरू युवा केन्द्र संगठन संगठन कार्यालयों आदि की संख्या, दिशा व दूरी प्रदर्शित की जानी चाहिए।

(4) विद्यालय संवेदनशीलता मानचित्रीकरण तथा संभावित बचाव के साधन व उपाय

- प्रत्येक कक्षा में बच्चों की संख्या (छात्र, छात्रायें, शारीरिक विकलांग तथा बीमार)
- विद्यालय में संवेदनशील कक्षायें।
- नल (पानी पीने का) जो विद्यालय परिसर में घातक स्थानों पर है।
- यदि विद्यालय पहाड़ी ढाल पर है तब मिट्टी का प्रकार व संवेदनशीलता दिखाई जाय– परिसर के अन्दर झुक हुये क्षेत्रों का चिन्हीकरण।
- संकट काल में बचाव हेतु निकासी श्रोतों, उपायों व विधियों का सूचीकरण।

(5) विद्यालय के सुरक्षित स्थान एवं निकासी मार्गो की स्थिति

मानचित्र में सुरक्षित स्थानों के चिन्हीकरण की आवश्यकता है–

- ऐसा सुरक्षित स्थान जहां बच्चे, स्टाफ मैम्बर व अध्यापक शरण ले सकते हैं (चयनित स्थान में कितने लोग शरण ले सकते हैं, इसका उल्लेख करें)

Scanned with OKEN Scanner

निकासी मार्ग

इस मानचित्र हेतु विद्यालय का सम्पूर्ण मानचित्र का प्रयोग करें जिसमें सीढ़ियां, दरवाजे, खिड़कियां आदि प्रदर्शित हों।

- अग्निकांड व भूकम्प की स्थिति में निकासी द्वार को स्पष्ट प्रदर्शित करें।
- मानचित्र में तीरों के माध्यम से विभिन्न निकासी मार्गो को प्रदर्शित करें।
- विद्यालय के विभिन्न स्थानों को प्रदर्शित कर विद्यालय के भिन्न स्थानों पर चस्पा करें, ताकि दुर्घटना के समय आसानी से प्रबन्ध करने में सुविधा हो।
- पूर्व से ही वैकल्पिक निकासी मार्ग की व्यवस्था करें जिससे आपदा के समय मुख्य मार्ग के बाधित होने पर भी निकासी मार्ग उपलब्ध रहे।

आपदा प्रबन्धन समितियों का गठन एवं प्रशिक्षण

आपदा जागरूकता समूह

सदस्य

- अध्यापक–(आपदा प्रबन्धन / पर्यावरण विज्ञान / भूगोल / भूगर्भ विज्ञान आदि)
- अध्यापक (कला)
- अध्यापक (क्राफ्ट)
- अध्यापक (संगीत)
- 1 या 2 अभिभावक (प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वालो को प्राथमिकता)
- विद्यार्थी (रचनात्मक एवं कुशल वक्ता)
- समूह के सभी सदस्यों को रचनात्मक के अलावा उनका कला और संस्कृति में भी रूझान होना चाहिये। जागरूकता बढ़ाने हेतु सामग्री एकत्रित करते समय अथवा जागरूकता के दौरान नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों की सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि का ध्यान भी रखा जाय।

जागरूकता सामग्री का निर्माण भी इसी समिति द्वारा किया जायेगा। जैसे क्या करें? क्या न करें? नाटक, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर जनजागृति, गीत इत्यादि। समिति को निम्न सूचनाओं/वस्तुओं की आवश्यकता होगी ।

- विद्यालय का मानचित्र
- निकासी योजना (Evacuation Plan)
- विद्यार्थियों एवं कक्षों की संख्या
- कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
- निकटस्थ अग्निशमन केंद्र, पुलिस स्टेशन, चिकित्सालय, रेडक्रास इत्यादि के महत्वपूर्ण संपर्क नम्बर।
- नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी (एस0डी0एम0) एवं जिला अधिकारी एवं जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र के संपर्क नंबर।

आवश्यक प्रशिक्षण

विभिन्न प्रकार की आपदायें उनका प्रकार, प्रभाव एवं प्रबन्धन पर विस्तृत चर्चा।

दायित्व एवं भूमिका

आपदा पूर्व

- जागरूकता सामग्री (IEC material) का निर्माण जैसे क्या करें? नाटक, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, जनजागृति गीत इत्यादि।
- कक्षाओं, स्टाफ एवं अध्यापकों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय में क्रमबद्धता से जन जागरण

Scanned with OKEN Scanner

अभियान चलाना।

- आस–पास के क्षेत्रों में D.C.O.C. (जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र) के प्रतिनिधियों लोकल पुलिस स्टेशन तथा स्थानीय गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0) की मदद से जनजागरूकता अभियान चलाना।
- सामान्य समय पर आपदा प्रबन्धन को दृष्टिगत रखते हुए नये विचार कार्यक्रम एवं गतिविधियां चलायी जानी चाहिए, जिससे विद्यालय परिवार का रूझान बना रहे। इस हेतु विद्यालय निम्न गतिविधियों का संचालन कर सकता है। जैसेः–
- कला कार्य : पोस्टर प्रदर्शनी, वालपेपर कार्ड, बुकमार्क इत्यादि।
- रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता : निबन्ध, काव्य, नारे।
- ड्रामाः "नुक्कड़ नाटक", भूमिका अदायगी।
- गीत लेखन।
- वाद विवाद प्रतियोगिता, अग्नि सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा खोज एवं बचाव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशिक्षणों को निकटस्थ उपलब्ध संबंधित संस्थाओं की मदद से आयोजित किया जाय।
- निकासी से सम्बन्धित कृत्रिम अभ्यासों का समय–समय पर आयोजन।
- सूचना से संबंधित समिति के साथ आपसी सामंजस्य बनाते हुए छात्रों,अध्यापकों एवं कर्मचारियों को विभिन्न स्तरों पर सूचना उसके प्रकार के बारे में बताया जाय जैसे किस रंग के एवं कितने झंडे कहां पर क्या प्रदर्शित करते है।

आपदा के दौरान

- सूचना समिति की मदद से तुरन्त प्रभावितों को क्या करें? क्या न करें? के बारे में बतायें जिससे स्थिति खराब न हो।

चेतावनी एवं सूचना प्रचार समिति

सदस्य

- कम्प्यूटर अध्यापक (या वह अध्यापक जो कम्प्यूटर तथा इन्टरनेट संबंधी जानकारी रखता है।)
- अध्यापक (भौतिक विज्ञान)
- अध्यापक (भूगोल)
- HAM-RADIO क्लब इन्चार्ज (यदि कोई हो)
- 1 या दो अभिभावक लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस आदि विभागों में कार्यरत व्यक्तियों को प्राथमिकता)
- 4–6 विद्यार्थी जो VHF (Very high frequency) सेट को संचालित करना जानते हो।
- इस समिति में कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी सम्मिलित हों छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी इमरजेन्सी ऑपरेशन सेंटर (कट्रोल रूम) में पूर्ति हेतु मदद कर सकते है। वे विद्यार्थी जो वी०एच०एफ० सैट को आपरेट कर सकते है या HAM क्लब के सदस्य है, भी इस समिति के सदस्य होंगे।

भूमिका तथा उत्तरदायित्व–

आपदा से पूर्व

- सम्भावित जोखिम जिनका निकट भविष्य में विद्यालय सामना कर सकता है के बारे में ताजा जानकारी लेते रहें जैसे अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन, औला–वृष्टि आदि घटित होने पर मौसम सम्बन्धी जानकारियां उपलब्ध साधनों जैसे टी.वी., रेडियो, इन्टरनेट से लगातार लेते रहें।

Scanned with OKEN Scanner

- भविष्य के जोखिमों के दृष्टिगत संभावित खतरे की सूचना संबंधित अधिकारी को दें।
- जिला प्रशासन से सम्पर्क बनाये रखना तथा प्राप्त दिशा निर्देशों से विद्यालय अधिकारियों को अवगत करायें।
- आपातकाल के पश्चात् इस्तेमाल में लाये जाने वाले चिन्हों, झंडों इत्यादि को एक नियत स्थान पर रखें।
- आपदा प्रबन्धन से संबंधित विद्यालय द्वारा किये गये प्रबन्ध की सूचना सभी कक्षाओं और अध्यापकों तक प्रसारित करना।
- अन्य समितियों के साथ सहयोग बनाते हुए ताजा मौसम सम्बन्धी चेतावनी के बारे में सूचना का आदान–प्रदान करना।

आपदा के दौरान

- भूकम्प के प्रथम संकेत पर।
- विभिन्न स्रोतों से प्राप्त चेतावनी को पुनः जांच (क्रॉस चैक) लें।
- आपातकाल के दौरान घंटी के द्वारा/साइरन के द्वारा या माईक पर या सूचनावाहक के द्वारा जो भी उपलब्ध साधन है के द्वारा चेतावनी देने की व्यवस्था करना ।
- विद्यालय भवन में आपदा के सम्बन्ध में, विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति को तुरन्त सूचित करें।
- जिला आपातकालीन प्रचालन समिति संबन्धी विभागों जैसे कन्ट्रोल रूम, अग्नि शमन, पुलिस, चिकित्सा आदि को रिपोर्ट करना।
- यदि विद्यालय शरण स्थल के रूप में संचालित किया जा रहा है तो तुरन्त शरणालय से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को ताजा मौसम संबंधी एवं संभावित आपदा के बारे में जानकारी से अवगत करायें।

आपदा के पश्चात

- विभिन्न सूचनाओं एवं सूचना स्रोतों पर नजर रखे।
- आपदा की स्थिति में सम्बन्धित समितियों से सूचनाओं का आदान–प्रदान करते रहें एवं समन्वय बनाये रखें।
- बचाव से संबंधित जानकारी जैसे क्या करें? क्या न करें? को आपदा जागरूकता समिति की मदद से प्रचारित करें।
- आपदा प्रबनध समिति के साथ कार्य करते हुए जिला प्रशासन हेतु आवश्यक जानकारी को एकत्रित करें व जिला प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायें।

निष्कासन समिति (Evacuation Committee)

सदस्य

- सभी कक्ष–अध्यापक
- कक्षा मॉनिटर
- पदयुक्त छात्र

इस समिति में एन.सी.सी और स्काउट गाइट शामिल हो सकते हैं। इन सबकी पूर्व ट्रेनिंग आवश्यक है। बाकि छात्रों को भी इस टीम का हिस्सा बनाने के लिये प्रेरित करें। सभी छात्रों को अपने अभिभावकों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।

आवश्यक वस्तुयें

- विद्यालय का विस्तृत मानचित्र जो विभिन्न निकास, सीढ़ी, खिड़की, दरवाजे आदि दर्शायें।
- विद्यालय निष्कासन योजना

Scanned with OKEN Scanner

- छात्र तथा कक्ष संख्या की जानकारी
- कर्मचारियों की जानकारी
- मास्टर कुंजी
- साइरन
- चलने में असमर्थ छात्रों के लिये विशेष व्यवस्था

आवश्यक ट्रेनिंग

निष्कासन प्रक्रिया का प्रशिक्षण स्थानीय अग्निशमन कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा भूमिका एवं जिम्मेदारियां – आपदा से पूर्व

- विद्यालय निकास मार्गो की जांच
- उन खुली जगहों को पहचानें जहां आपदा की स्थिति में एकत्रित को सकें।
- सुरक्षित पूर्व निर्धारित स्थान तक पहुंचाना बाधारहित हो, का निर्धारण करना।
- आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहजता से हो सके, का पूर्व निर्धारण।
- असामान्य मौसम होने पर योजना समिति को यथासम्भव मदद हेतु विस्तृत विचार विमर्श।
- चलने में असमर्थ छात्रों के लिये विशेष व्यवस्था।
- विशेष ध्यान रखने वाले छात्रों (जैसे बीमार, विकलांग आदि) की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही प्रशिक्षण कराया जाए।
- नियमित रूप से निष्कासन प्रक्रिया के अभ्यास करते समय दूसरी समितियों से भी सामंजस्य बनाकर अभयास करें जो आपदा के समय अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा।
- इन प्रक्रियाओं की जानकारी पूरे विद्यालय परिवार के सदस्यों को समय–समय पर देते रहे। साथ ही विभिन्न प्रकार के अभ्यास भी नियमित रूप से कराते रहें।

आपदा के दौरान

- भूकम्प के प्रथम संकेत पर झुको, खुद को ढको और स्थिर वस्तुओ को पकड़े रखो जैसे यदि फ़र्श हिलता है तो फर्नीचर के टांगों को पकड़ लो यदि बाहर है तो भवन से तुरन्त दूर हटे।
- कृत्रिम अभ्यासों में सिखायें गयें तरीकों से विद्यालय भवन को छोड़ कर निर्धारित सुरक्षित स्थान पर पहुंचें । जिससे भगदड़ की वजह से कोई हादसा न हो।

आपदा के पश्चात्

- सुनिश्चित करें कि आपताकालीन प्रयोगार्थ पूर्व निर्धारित स्थान सुरक्षित है। निष्कासन हेतु आवश्यक अन्य आवयकताओं की जांच कर लें।
- आपदा के उपरान्त प्रधानाचार्य के पास विस्तृत सूचना (कॉल व रिपोर्ट सहित) प्रेषित करें।

खोज व बचाव समिति

- क्रीड़ा अध्यापक / एन0सी0सी0 प्रभारी / एन0एस0एस0 प्रभारी
- स्काउट गाइट / एन0सी0सी0 और / एन0एस0एस0 प्रशिक्षक
- अग्निशमन सेवा के प्रतिनिधि
- 1–2 अभिभावक (जो आर्मी, पुलिस, अग्निशमन आदि से संबन्धित हों)
- खोज व बचाव में प्रशिक्षित विद्यार्थी

आवश्यक वस्तुयें

- विद्यालय का विस्तृत मानचित्र जो विभिन्न निकास सीढ़ी, दरवाजे आदि को दर्शायें।

Scanned with OKEN Scanner

- छात्र एवं कक्षा संख्या की जानकारी
- कर्मचारी संख्या की जानकारी।
- अतिरिक्त बैटरी के साथ टॉर्च।
- मजबूत टोपियां, हैलमट जूते।
- स्ट्रेचर, रस्सी व सीढ़ी।

आवश्यक प्रशिक्षण

- खोज एवं बचाव व सुरक्षा के तकनीकों से युक्त प्रशिक्षण स्थानीय पुलिस अग्निशमन सेवा के प्रतिनिधियों के सहयोग से किया जाए।

भूमिका व जिम्मेदारी

आपदा के दौरान

- आवश्यक वस्तुओं (खोज व बचाव उपकरण) को सम्भावित प्रभावित क्षेत्र में नियत स्थान पर उपलब्ध होना सुनिश्चित करे।
- समिति सदस्यों पर प्रशिक्षण हेतु तत्परता सुनिश्चित करें।
- विशेष ध्यान रखने वाले छात्रों (जैसे बीमार, विकलांग आदि) की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही प्रशिक्षण कराया जाए।

आपदा के दौरान

- भूकम्प के प्रथम संकेत पर Drop, Cover and Hold करें।
- दूसरी आपदाओं की स्थिति में बचाव व सुरक्षा प्रक्रिया आरम्भ करें।

आपदा के पश्चात

- पूर्व नियोजित तरीके से विद्यालय भवन के सभी कक्षों की जांच करें (देखें, आवाज दें, सवयं जायें)
- घायलों की सूचना प्राथमिक चिकित्सा समिति को शीघ्र प्रदान करें।
- अन्य दिक्कतों वाले क्षेत्रों की सूचना तत्काल विद्यालय आपदा प्रबन्ध समिति/विद्यालय आपात कालीन परिचालन केन्द्र (EOC) को तत्काल दें।

प्राथमिक चिकित्सा समिति

सदस्य

- विद्यालय डॉक्टर
- विद्यालय नर्स
- रेड क्रॉस सवयं सेवक
- स्थानीय चिकित्सालय के प्रतिनिधि
- 1–2 अभिभावक जो स्वास्थ्य सेवा से सम्बन्धित हों
- स्वास्थ्य सेवा में इच्छुक छात्र

आवश्यक वस्तुयें

- पूरे विद्यालय के लिये मेडिकल किट
- हर कक्षा में फर्स्ट एड किट
- Health Card उन छात्रों या कर्मचारियों के तैयार किये जाएं जो विशेष दवाओं का प्रयोग करते है।
- क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी हेतु रजिस्टर का निर्माण कर स्वास्थ्य एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को अंकित किया जाए।

Scanned with OKEN Scanner

प्रशिक्षण हेतु आवश्यकता

- प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण हेतु स्थानीय स्तर पर अग्निशमन/रेड क्रॉस/स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों की मदद से आयोजित किया जाए जिसमें प्राथमिक चिकित्सा की सामान्य तकनीकों एवं C.P.R.(Cardio-Pulmonary Resperation) की जानकारी दी जाए।

आपदा से पूर्व

- प्राथमिक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति सदैव पूरी हो।
- आपातकालीन संबन्धी सूचना व सेहत कार्ड तैयार रखें।
- प्रतिवर्ष सभी नये सदस्यों का आवश्यक प्रशिक्षण व पुराने छात्रों का पुर्न अभ्यास प्रशिक्षण करना सुनिश्चित करें।
- आवश्यक व विशेष जरूरतों वाले छात्रों/कर्मचारियों हेतु दवाइयों का 1–2 दिन का स्टॉक सुनिश्चित करें।
- नियमित रूप से कृत्रिम अभ्यास में भाग लें।

आपदा के दौरान

- भूकम्प के प्रथम संकेत पर झुको, खुद को ढको और स्थिर वस्तु को पकड़े रखो (Drop, Cover and Hold) ।

आपदा के पश्चात

- प्राथमिक चिकित्सा से सम्बन्धित सभी रिकार्ड एवं उपचारों का विस्तृत ब्यौरा रखें।
- अन्य आवश्यक चिकित्सा सामग्री एवं मदद की पहचान करें, विद्यालय प्रधानाचार्य के साथ समन्वय स्थापित कर पूर्ति का प्रयास करें।
- खोज एवं बचाव के कार्य करते समय प्राथमिक समिति सदस्यों को भी निर्देशित करें कि वे खोज एवं बचाव समिति सदस्यों के साथ रहें।

विद्यालय आपातकालीन योजना से सबको अवगत करायें:-

आर्ट वर्क, कविता लेखन, ड्रामा, खेल आदि के माध्यम से छात्रों को योजना के बारे में करायें। इनमें बचाव ड्रिल, विस्थापन ड्रिल, याददाश्त खेल आदि शामिल हैं।

नियमित कृत्रिम अभ्यास (मौक ड्रिल) का आयोजन

विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने व अपनी योजना का परीक्षण करने के लिये नि रूप से कृत्रिम अभ्यास करने आवश्यक है आपदा के वक्त बचाव कार्यवाही तुरन्त करें । आपदा के सोचने का समय नहीं होता, सबको पूर्व में पता होना चाहिये कि क्या करना हैं? आपदा के पश्चात जीव रक्षक गतिविधियां प्राथमिकता के आधार पर शुरू कर दें जैसे खोज एवं बचाव, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि तुरन्त उपलब्ध करायें। प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों, छात्रो एवं अभिभावकों को तुरन्त सक्रिय होना चाहिये। आपकी योजना का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है– कृत्रिम अभ्यास (मौक ड्रिल) एवं अन्य अभ्यास क्योंकि वे (1) अभिभावकों, शिक्षकों व छात्रो को आपदा से रूबरू होना सिखाती है और (2) आपको आपकी आपातकालीन योजना की सही कार्य स्थिति एवं कमियां बताती हैं जिससे इन कमियों का सुधार किया जा सके साथ ही शिक्षकों व छात्रों के प्रशिक्षण का भी परीक्षण होता रहता है।

(i) सुरक्षा के उपाय

हर कक्षा में छात्रों को समझायें कि यदि भूकम्प आता है तो स्वयं की सुरक्षा पर ध्यान दें, तत्पश्चात अन्य घायल साथियों की भी मदद के लिए तत्पर रहे। चर्चा के लिये 'क्या यदि' जैसे प्रश्न बनायें और छात्रों

Scanned with OKEN Scanner

को प्रोत्साहित करें।

- यदि शिक्षक घायल हों तो?
- यदि छात्र शीशे से घायल हो तो ?
- यदि कोई किसी भारी वस्तु के गिरने से घायल हो तो?
- यदि कोई स्तब्ध हो गया तो?

(ii) मनोवैज्ञानिक उपाय

छात्रों में आपदा के वक्त आने वाली भावनाओं के विषय में बात करें। उन्हें बतायें घबराना, चिन्तित होना व बीमार महसूस करना आम बात है। छात्रों का आपदा के पश्चात अपनी और दूसरों की मदद के विषय में जैसे बिन्दुओं पर बात करने हेतु प्रोत्साहित करें। घटना के पश्चात अभिभावकों को विद्यालय पहुंचने में वक्त लग सकता है। इसलिये सब शान्ति से इंतजार करें क्योंकि ऐसे समय में छात्र अपने भाई–बहिनों व अभिभावकों के लिये चिन्तित होते है।

छात्रों को बताऐं कि वे घटना व अपने परिवार की चिन्ता करने के बजाय अपने साथियों की मदद करें ताकि मानसिक तनाव न हो। छात्रों को प्रोत्साहित करें कि वे अपने परिवार की भी परिवार आपदा प्रबन्ध कार्य योजना बनाऐं ताकि बेहतर तरीके से कार्य कर सकें।

कृत्रिम अभ्यास (मौक ड्रिल)

भूकम्प–

- भूकम्प के प्रथम संकेत पर।
- एक मिनट से कम समय में बिना किसी धक्का–मुक्की या नुकसान के कक्षाओं को खाली कर दें।
- विद्यालय परिसर को चार मिनट से कम समय में विभिन्न निकासी मार्गों द्वारा खाली कर दें।
- अपने साथियों का अवश्य ध्यान रखें।
- जोखिम वाले क्षेत्रों विशेषकर कमजोर भवन इत्यादि से दूर रहे।
- मदद की आवश्यकता वाले साथियों की सहायता करें।
- अपने बड़ों व अन्य बच्चों के साथ चलें।

अग्निकांड / रासायनिक दुर्घटना

- अचानक घटनाओं के घटनाओं के लिए तैनात रहने में जगरूकता व जानकारी आवश्यक है।
- 'कैसे और क्यों' जैसी जानकारी दुर्घटना को सम्भालने के लिए आवश्यक है।
- लैब व किचन में क्या करें– क्या न करें, साफ–साफ लिखें।
- हर महीने Mock Drill अभयास करें।
- बच्चों से (हर हफ्ते) प्रश्नोत्तर करें कि वे क्या करेंगे यदि–
  - (i) परखनली में पदार्थ आग पकड़ ले।
  - (ii) गैस लीक करे और कोई माचिस जला दें।
  - (iii) फर्श पर Acid गिर जाये।
  - (vi) शीशा टूटे।
  - (v) कोई गलती से Nitric acid पी ले।

योजना को प्रभावी बनाने हेतु आंकलन एवं पुर्नमूल्यांकन–

विद्यालय कार्य योजना का नियमित आंकलन करना चाहिए। (कम से कम चार माह में एक बार) यह विद्यालय आपदा प्रबन्ध समिति की जिम्मेदारी है कि वह देखें कि यह योजना कितनी प्रभावी है तथा क्या अन्य

Scanned with OKEN Scanner

साथी इस कार्ययोजना के प्रति गम्भीर हैं। जब कृत्रिम अभ्यास पहली बार होगा तो इसमें बहुत खामियां भी होंगी। इस अभ्यास को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इन खामियों को दूर करना होगा। विद्यालय योजना को मापने के लिए चैक लिस्ट की मदद ले सकते है।

भूकम्प के दौरान अधिक सुरक्षा चाहने वाले छात्रों के लिए उपाय-

वे छात्र जो डायबिटीज, अतिरिक्त दाब (Hypertension) के शिकार है या कोई अन्य बीमारी से ग्रसित हैं जिन्हें नियमित उपचार की आवश्यकता होती है, ज्यादातर आपदाओं में इस श्रेणी के लोगों को स्वयं ही लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो बात एक साधारण व्यक्ति के लिए भले ही मामूली हो परंतु ऐसे लोगों के लिए यह आपदा भारी विपदा का कारण हो सकती है।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भूकम्प की तैयारी और बचाव योजना में ऐसे छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कुछ परिस्थितियां में यह जीवन–मृत्यु की स्थिति भी हो सकती है। यद्यपि इनमें से कुछ बातें पूर्व में बताई जा चुकी हैं, पर दोहराने से उनकी महत्ता बढ़ेगी व साथ में एक ऐसा अभिलेख भी बनेगा जो विद्यालय आपातकाल योजना निर्माण व पुर्नअवलोकन में महत्वपूर्ण साबित होगा।

भूकम्प से पहले

- चलने, सुनने, देखने में असमर्थ छात्रों व मानसिक रूप से कमजोर छात्रों के लिये विशेष मदद द्वारा सुरक्षित स्थानों में पहुंचाना।
- इस तरह के छात्रों के लिये जरूरी दवा, संसाधन विद्यालय में हो तथा विद्यालय से बाहर जाने की स्थिति में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों।
- यदि छात्र कम/ज्यादा समय अन्य साथियों से दूर रहता है या विद्यालय की गतिविधियों में भागीदारी नहीं करता है तो कारण जानने के लिए ऐसे छात्रों के अभिभावकों से विचार–विमर्श करें।
- ऐसे छात्रों के पास हर समय स्वयं का एक आपातकालीन कार्ड हो जो उसकी विशेष आवश्यकताओं को दर्शाये। कार्ड में बीमारी, दवा, समय काल व अन्य सहायता आदि मौजूद होनी चाहिए।
- यदि किसी विशेष उपकरण को बिजली की मदद से चलाया जाता हो तो वैकल्पिक बिजली का प्रबन्ध सुनिश्चित करें।
- किसी शिक्षक या विशेष दल को इन छात्रों की मदद के लिए प्रशिक्षित करें।
- इन छात्रों को तैयारी व बचाव कार्यवाहियों में लगायें जिससे ये भी घटना के समय खुद ही मददकर सकें।
- उदाहरणः अंधेरे में अंधा छात्र आंखो वाले छात्रों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा सकता है जबकि इनमें से कुछ छात्र प्राथमिक चिकित्सा सीख सकते है।
- इन छात्रों को प्रक्रिया से बाहर न करें अपितु उत्कीर्ण लेख (Braille, Audio Casstete) आदि की सहायता से तैयारी व बचाव की जानकारी को समझने दें।
- सरल चित्रों व फिल्मों की मदद से मानसिक रूप से कमजोर छात्रों की सहायता की जा सकती है।
- सुनने में असमर्थ छात्र अपनी Wheel Chair को किसी सुरक्षित जगह पहुंचाने का प्रयास करें। अपने सिर को किताबों या हाथों से ढ़कें।
- स्वस्थ व कमजोर छात्रों को एक साथ कृत्रिम अभ्यास कराये जिससे मुसीबत में दोनो एक–दूसरे की मदद कर सकें।

Scanned with OKEN Scanner

- बचाव दल को भी इन छात्रों की मदद के लिये अभ्यास करायें।
- उदाहरणः– चलने में असमर्थ छात्र बचाव दल को बुलाकर मदद मांग सकते है जबकि सांस की परेशानी वाले छात्र के लिये आग हानिकारक हो सकती है।
- इन छात्रों के लिये योजना बने जो Drop, Cover & Hold तकनीक को विशेष ढ़ंग से इन छात्रों को समझाये। इन छात्रों को ध्यान में रखकर भूकम्प से बचाव की योजना बने।
- देखने में असमर्थ छात्रों के लिये एक अतिरिक्त डंडा/छड़ी विद्यालय में हो। उनके वैकल्पिक विस्थापन की व्यवस्था चिन्हित हो।

भूकम्प के समय

भूकम्प के समय प्रथम संकेत पर झुको, खुद को ढको और स्थिर वस्तु को पकड़े रखो (Drop, Cover & Hold) से यदि फर्नीचर हिलता है तो फर्नीचर की टांगों को पकड़ लो। यदि बाहर हैं तो भवन से तुरन्त दूर हटें, स्वस्थ छात्रों के अलावा कमजोर छात्रों को भी यह अभ्यास करायें। **उदाहरण**–चलने में असमर्थ छात्र अपनी Wheel Chair Lock कर लें सिर को किताब या हाथ से ढकें।

भूकम्प के पश्चात

- सुनने में असमर्थ छात्रों का चेहरा देखकर ही बात समझ में आती है, लिखा हुआ पढ़ने के लिये पर्याप्त लाइट होनी चाहिये।
- कक्षा खाली करते समय आंखों से कमजोर छात्रों को राह में आने वाली वस्तुओं से अवगत करायें।
- सम्पूर्ण अंधकार में अंधे छात्र दूसरे छात्र व शिक्षकों की मदद कर सकते हैं।
- चलने में असमर्थ छात्रों को दिक्कत हो सकती है। विशेष ध्यान की आवश्यकता है।
- विशेष संसाधन जैसे दवा इत्यादि इन छात्रों के साथ विस्थापन के समय बाहर निकाले जायें।
- अगर किसी कारणवश ऐसे छात्र दूसरों से अलग हो जाते है तो उनकी देखभाल की उचित व्यवस्था करें।
- विशेष विद्युत उपकरण लगायें जिससे बिजली वाले उपकरण कार्य कर सकें।
- इन छात्रों के बचाव के लिये उन विशेष तकनीकों का प्रयोग करें जो अभ्यास के दौरान सिखाई गई थी।

School Emergency Management Plan Checklist

- क्या आपातकालीन नम्बरों की जांच कर ली गई है?
- क्या इन नम्बरों को योजना में दर्शाया है?
- क्या योजना आपातकाल में सरकार को सुचित करने में समर्थ है?
- क्या विद्यालय के निकटस्थ 1km. के अन्तर्गत खतरों की पहचान की गई है?
- क्या योजना में निष्कासन प्रक्रिया स्पष्ट है?
- क्या योजना महत्वपूर्ण लोगों के कार्यों को स्पष्ट रूप से बतायी है?
- क्या शिक्षकों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट इंगित किया गया है?
- क्या योजना में कक्षा आठ से नीचे के छात्रों को ध्यान में रख कर बनाई है?
- क्या योजना यह स्पष्ट करती है कि कब प्रशिक्षण और अभ्यास होगा?
- क्या योजना में स्थानीय पुलिस और अग्निशमन प्रतिनिधियों की मदद ली है?
- क्या योजना में पुर्नमूल्यांकन करने का विकल्प है?

Scanned with OKEN Scanner

विद्यालयों में भूकम्प के समय सुरक्षा हेतु अभ्यास (Mock Drill)

प्राथमिक चरण:-

1. विद्यालयों का निरीक्षण, अध्यापकों को Mock Drill के विषय में जानकारी एवं तत्सम्बन्धित अभ्यास का निर्धारण किया जाय।
2. कार्ययोजना प्रपत्र के अनुसार विद्यालयों में अध्यापकों के सहयोग से प्रारम्भिक विवरण तैयार करना तथा विद्यालयों की सामान्य व्यवस्थाओं का आंकलन किया जाये।
3. अध्यापकों के सहयोग से कक्षा में जाकर भूकम्प/आपदा की घटना की प्रकृति की जानकारी देते हुए सुरक्षा परक निर्देश एवं अनुप्रयोग प्रदान किया जाये।

द्वितीय चरण :

4. सम्पूर्ण विद्यालय में घंटी /रसायन/सीटी/खटखट के माध्यम से भूकम्प /आपदा की स्थिति पैदा करना।
5. अध्यापक एवं विद्यार्थियों द्वारा अनुक्रिया/तत्परता/सुरक्षात्मक कार्य जैसे-
   - डेस्क/मेज के नीचे जाना।
   - कोनों पर जाना।
   - सबसे मजबूत दीवार का सहारा लेना।
   - खतरे के कारक/स्थान से दूर रहना।
   - कोने पर शरीर को सुरक्षित रखने का अभ्यास ।
   - तात्कालिक अनुक्रिया का समय 5 से 20 सेकेण्ड तक हो सकता है।

निम्न न करने योग्य कार्य जिन पर अवलोकन कर पुर्नअभ्यास किया जाय-

6. भगदड़ न हो, धैर्य एवं संयम बना रहे।
7. स्कूल/हॉल/कक्ष की स्थिति में दरवाजे पर खड़े न होवें, यद्यपि घर की स्थिति में दरवाजे/देहलीज पर खड़ा जोना सुरक्षित है।
8. भारी चीजों को ऊपर न रखना/ तीखी चीजों को कोनों पर न रखना।
9. प्रवेश एवं निकासी मार्ग को अवरोध रहित बनाना।

तृतीय चरण :-

10. कुछ कक्षों पर यथा स्थितिनुसार निकासी का प्रदर्शन/ सीटिंग व्यवस्था में सम्यक बदलाव कर निकासी /दोनों स्थितियों में जो बेहतर हो उसका अनुकरण किया जाय।
11. कोनों एवं दीवार का सहारा लेते हुए निकासी जो खुले मैदान तक हो।
12. निकासी का मार्ग निर्धारण (अध्यापकों के सहयोग एवं विचार विमर्श से), निकासी समय 15 से 30 या 45 सेकेण्ड तक हो। प्रारम्भ में इस प्रकिया में अधिक समय लग सकता है।
13. समय एवं कुशलता/ कर्मियों को नोट किया जाये, कृत्रिम स्थिति/घायल/चोटिल/फंसने की स्थिति पैदा करते हुए सूचना प्रधानाचार्य/ राहत एवं बचाव दल/ अन्य को बतायें। (अन्ततः बतायें कि यह मॉक ड्रिल है।) टेलीफोन नम्बरों की सूची विद्यालयों में रखी जाये/ विद्यालय स्तर पर संकलित एवं प्रसारित की जाये।
14. प्राथमिक सहायता तथा कैजुएल्टी कैंरिग का अभ्यास कराया जाये।
15. पूर्व तैयारी /सूचना/विवरण /कार्ययोजना का सुधार/सुझाव प्राप्त किये जायें।
    - Mock Drill के दौरान के सक्रिय फोटो लिये जायें।
    - First-aid बॉक्स को तैयार करने की जानकारी दी जाये।
    - प्रत्येक विद्यालय में फोन नम्बर की सूची/विवरण चार्ट भरा जायें/ प्रधानाचार्य के सुझाव/ रजिस्टर में विवरण दर्ज किये जाये।
16. आपदा प्रवन्धन की चिरन्तरत हेतु विद्यालय स्तर पर कार्यक्रमों की सूची तैयार की जाये।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उत्तरकाशी

जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी, दूरभाष सं0.-01374- 222126, 1077 (टोल फ्री), 222722, 222722 (फैक्स) मो0- 7500337269, **Email-ddmauttarkashi@gmail.com**

Scanned with OKEN Scanner

8. विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना

विभागों के नाम	फोन नं0
1 राज्य कन्ट्रोल रूम	
2 जिला कन्ट्रोल रूम	
3 अग्निशमन	
4 पुलिस चौकी थाना	
5 रोगी वाहन	
6 कार्यालय जिलाधिकारी	
7 उप जिलाधिकारी कार्यालय	
8 निजी चिकित्सालय	
9 मुख्य चिकित्सा केन्द्र	
10 विकास खण्ड अधिकारी	
11 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत	
12 नागरिक सुरक्षा संगठन	

योजना बनाने की तारीख –

विद्यालय का नाम –

पता –

विकास खण्ड –

तहसील –

जनपद –

नगर पालिका वार्ड संख्या –

1. नक्शा स्कूल –

1.1 जोखिम एवं घातकता चित्रण

1.2 संसाधन चित्रण एवं सुरक्षित मार्ग

1.3 निष्कासन चित्रण

विद्यार्थियो की संख्या कक्षावार –

क.सं.	कक्षा	बालक	बालिका	विकलांग	संख्या
1	1-5				
2	6-12				
				कुल	

एन. सी. सी छात्रः

स्काउट एंव गाइडः

एन.एस.एस. छात्रः

Scanned with OKEN Scanner

2. विद्यालय का विवरण -

कक्षों की कुल संख्या	पक्के कक्षों की संख्या	टिन की छत वाले कक्षों की संख्या	खपरैल/छप्पर की छत वाले कक्षों की संख्या

2.1 मुख्य सड़क से दूरी –
2.2 अग्निशमन केन्द्र से दूरी –
2.3 पुलिस चौकी/थाने से दूरी –
2.4 जिला मुख्यालय से दूरी –
2.5 निकटतम बाजार से दूरी –
2.6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से दूरी –
2.7 सीढ़ियों की संख्या –
2.8 बाहर जाने के रास्तों की संख्या –

3. संसाधन सूची -

संख्या	मूलभूत संरचनाएँ	हॉ	नही	संख्या	दूरी
1	हैण्ड पम्प				
2	वाटर सप्लाई				
3	अग्नि शमन यन्त्र				
4	खेल का मैदान				
5	छत पर आने जाने के लिए पक्की सीढ़ियॉ				
6	लकड़ी की सीढ़ियॉ				
7	पानी के पाइप				
8	मोटी रस्सियॉ				
9	टेलीफोन				
10	फैक्स				
11	इन्टरनेट				
12	छायादार वृक्ष				
13	विद्यालय से बाहर निकलने हेतु गेट				
14	प्राथमिक चिकित्सा किट				
15	रेडियो सेट एंव टेलीविजन सैट				
16	जनरेटर				
17	पम्पसेट				
18	पैटोमैक्स				
19	गैस लाइट				
20	सौर उर्जा के उपकरण				
21	जीप/बस/अन्य वाहन				

Scanned with OKEN Scanner

4. विद्यालय के आसपास सुरक्षित स्थान पर अस्थाई आश्रय के लिए स्थान -
5. विद्यालय के आसपास सामुदायिक संगठन -
6. वैकल्पिक सुरक्षित रास्ते -
7. खतरे के स्थान से दूरी -

संख्या	खतरा	विद्यालय से दूरी	टिप्पणी
1	नदी		
2	तटबन्ध		
3	बाँध / पुल		
4	चट्टान		
5	बिजली के खम्बे / हाईटेंशन वायर		
6	पानी की टंकियों से		
7	बड़े पेड़ों से		
8	खड़ी चट्टानों से		
9	खतरनाक भवनों से		
10	राष्ट्रीय राजमार्गों से		

8. विद्यालय सुरक्षा योजना -

8.1 विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति

क्र.सं.	नाम	पता	दूरभाष संख्या
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

8.2 विद्यालय की सीमा के अन्दर सुरक्षित स्थानों का चिन्हीकरण -

संख्या	स्थलों का नाम	कक्षा भवन से दूरी

Scanned with OKEN Scanner

8.3 विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति के परामर्श से विद्यालय का जोखिम एवं घातकता विश्लेषण

क्रमांक	विद्यालय मे अवस्थित सेवायें / संरचनाएं	आपदा (जिनसे सेवाएं / संरचनाएं प्रभावित हो सकती है)			
		भूकम्प (हां / नही)	भू-स्खलन (हां / नही)	बाढ़ (हां / नही)	अग्निकांड (हां / नही)
1	भवन अवसंरचना				
2	पेयजल				
3	विद्युत व्यवस्था				
4	दूरसंचार व्यवस्था				
5	सड़क / पहुँच मार्ग				
6	अन्य				

8.4 विभिन्न आपदा राहत दल

क. निष्कासन दल-

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	पद	छात्र / छात्राओं के नाम
1			
2			
3			
4			
5			

ख- प्राथमिक चिकित्सा दल-

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	पद	छात्र / छात्राओं के नाम
1			
2			
3			
4			
5			

ग- खोज व बचाव दल-

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	पद	छात्र / छात्राओं के नाम
1			
2			
3			
4			
5			

घ - जागरूकता (Awareness) दल-

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	पद	छात्र / छात्राओं के नाम
1			
2			
3			
4			
5			

(प्रधानाचार्य का नाम, सील व हस्ताक्षर)

Scanned with OKEN Scanner

भूकम्प एवं अन्य आपदा/दुर्घटना हेतु चेक लिस्ट

क्र.सं.	सूची	हॉं / नही	टिप्पणी
1	क्या गलियारे और सीढ़ियां आने–जाने में बाधा रहित हैं?		
2	क्या स्कूल में आपातकालीन बिजली की व्यवस्था है?		
3	क्या पंखे और बिजली के उपकरण पूर्ण रूप से दीवारों व छतों में लगे हैं?		
4	क्या कहीं पर बिजली की तारें खुली तो नहीं हैं?		
5	क्या सभी कक्षाओं के दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं?		
6	क्या खिड़की और बालकनी ढके हैं?		
7	क्या विद्यालय में बाहर निकलने के न्यूनतम दो रास्ते हैं?		
8	क्या विद्यालय से बाहर निकलने के सारे रास्ते बाधा रहित हैं?		
9	क्या आग से सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है?		
10	क्या आग बुझाने वाला उपकरण (Fire Extinguisher) कार्य करने की स्थिति में है?		
11	क्या आग बुझाने हेतु रेत की थैली पर्याप्त मात्रा में है?		
12	क्या विद्यालय में जल भण्डारण की सुविधा उपलब्ध है?		
13	क्या विद्यालय में पानी के पाइप हैं?		
14	क्या विद्यालय में पानी का पंप है?		
15	क्या प्रत्येक मंजिल पर पानी व शौचालय की सुविधा उपलब्ध है?		
16	क्या सीढ़ियां हमेशा प्रयोग में लायी जाती हैं या कुछ मार्ग बंद किये हैं?		
17	विद्यालय भवन की आयु		
18	क्या विद्यालय भवनों में दरारें हैं?		
19	क्या दरारें मरम्मत योग्य हैं?		
20	विद्यालय से बाहर सड़क पर यातायात की स्थिति क्या है?		
21	क्या चेतावनी साईन बोर्ड लगे हैं?		
22	क्या विद्यालय परिसर के अन्दर किसी भी प्रकार की हाई टेंशन लाईन/बिजली के पोल/पेड़/ट्रांसफार्मर लगे हैं?		
23	क्या विद्यालय भवन से सटा हुआ या समीप कोई बहुमंजिली भवन है?		

Scanned with OKEN Scanner

9. प्राथमिक चिकित्सा

दुर्घटना में घायल अथवा आकस्मिक रूप से बीमार व्यक्ति को डॉक्टर अथवा एम्बूलेंस के पहुंचने से पूर्व किया जाने वाला प्राथमिक उपचार, प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है।

प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य

किसी व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा निम्न कारणों से दी जाती है।

- जीवन रक्षा हेतु
- उसकी दशा और ज्यादा खराब होने से बचाने हेतु
- शीघ्र उपचार हेतु

प्राथमिक चिकित्सा कौन कर सकता है।

- जिसे प्राथमिक चिकित्सा का अच्छा ज्ञान हो।
- जिसमें दूसरों की सहायता करने की भावना हो
- जो शीघ्रतापूर्वक कार्य कर सकता हो।
- जो तनावयुक्त परिस्थितियों में धैर्य पूर्वक कार्य कर सकता हो।

अत्यधिक उत्साह एवं भावनात्मकता, प्राथमिक चिकित्सा नुकसान पहुंचा सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा देने से पूर्व

प्राथमिक उपचार करने के पूर्व निम्न जांच कर लें।

खतरे

- आपको कोई खतरा तो नहीं है।
- दूसरे को कोई खतरा तो नहीं है।
- रोगी को कोई खतरा तो नहीं है।

प्रतिक्रिया

- रोगी को होश है
- रोगी को होश नहीं है

शुद्ध वायु

- चारों ओर से वायु का प्रवेश हो रहा है या नहीं वायु शुद्ध है या नहीं

श्वास

- रोगी की छाती में हलचल हो रही है या नहीं
- रोगी की धड़कन चल रही है या नहीं
- क्या आप रोगी की श्वास को अपने गाल पर महसूस कर पा रहे हैं।

रक्त प्रवाह

- रोगी की नाड़ी चल रही है या नहीं
- क्या रोगी में जीवन के लक्षण दिख रहे हैं

जल जाने या झुलस जाने पर प्राथमिक चिकित्सा

- यदि कपड़ों में आग पकड़ ले तो दौड़े–भागें नहीं, बल्कि किसी दरी या कम्बल में शरीर को तब तक पलटें जब तक आग बुझ न जाये।
- यदि कपड़ों में आग पकड़ ले तो जमीन पर लेट जायें
- यदि त्वचा केवल लाल हो गई है तो उस भाग को ठण्डे पानी में 15 मिनट तक रखें या उस भाग पर पानी से अच्छी तरह भीगा कपड़ा 15 मिनट तक रखें।

Scanned with OKEN Scanner

- यदि त्वचा ज्यादा जल गई हो और फफोले पड़ गए हों तो फफोले मत फोडिये, जल कर चिपके हुए कपड़ों को मत हटाइए और कोई दवा मत लगाइए। जले हिस्से को चिपके हुए कपड़ों सहित दूसरे साफ कपड़े से ढक दें या पट्टी बांध दें।
- जितना शीघ्र हो सके जले व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करें ।

सांप काटने का प्राथमिक उपचार

1. सांप काटने पर कोमल रबर या साफ कपड़े से घाव के उपर का हिस्सा बांधिए। कटे हुए भाग को लटका कर रखें। बंधे हुए कपड़े को हर 15 मिनट बाद ढीला करके फिर बांधें।
2. घाव का निरीक्षण करें। यदि विषदंत के निशान नही हैं तो सांप विषैला नही है। यदि निशान हैं तो तुरन्त अस्पताल ले जाकर एण्टी –वेमन सिरम इंजेक्शन लगवायें
3. यदि व्यक्ति को अस्पताल ले जाना संभव नहीं है तो घाव को एंटीसेप्टिक या पोटैशियन परमैंगनेट से धोइये चाकू या ब्लेड को गरम करके जीवाणु रहित करें और घाव को लगभग आधा इंच काटिए। यदि रक्तस्राव हो रहा है तो ठीक है नहीं तो घाव से खून को खींचकर निकालिये खून के साथ विष भी खिंच आएगा। अब घाव पर दवा का फाहा रखकर पटटी बांधिए।

हड्डी मांसपेशी तथा संधि चोटों में देखभाल

जब तक चिकित्सकीय सहायता नहीं मिलती या प्रभावित हिस्सा पूरी तरह से ठीक नही होता तब तक शरीर के उस हिस्से को पूर्णतया स्थिर कर दें। पूर्ण आराम, बर्फ का प्रयेाग उचित देखभाल तथा प्रभावित हिस्से को ऊंचा करके देखना चाहियें।

पूर्ण आरामः चोट को और अधिक होने से रोकने हेतु तथा ठीक करने के लिए पूर्ण आराम करना आवश्यक हैं।

बर्फ का प्रयोग–

सूजन तथा दर्द कम करने को बर्फ का प्रयोग करें

उचित देखभाल–

चोटग्रंस्त व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में रखने व उचित देखभाल आवश्यक है।

प्रभावित हिस्से को ऊंचा रखना–

चोट वाले हिस्से का आवश्यक हो तो सूजन कम करने के लिए ऊंचा उठाया जा सकता है।

आंख में कोई वस्तु गिरने पर प्राथमिक उपचार

- रोगी को आंख मलने से रोकिए।
- रोगी की आंख पर पानी के छींटे मारिए।
- यदि कोई वस्तु आंख में पडी दिखाई दे रही हो तो उसे साफ रूमाल या गीली रूई के फाहे से निकालने की कोशिश कीजिए।
- यदि वस्तु बाहर न निकले तो आंखों पर पट्टी बांधकर डॉक्टर के पास रोगी को ले जाएं।
- यदि वस्तु पलक के नीचे है तो पलक को बालों से पकडकर खीचिए व दूसरी पलक तक लाकर छोडिए इससे वस्तु अपने आप हट सकती है।
- आंख को धूल, धुंआ व धक्के से बचाकर रखें।

घाव तथा रक्तस्राव के प्रकार तथा उनका प्राथमिक उपचार

- चिथड़े वाला घाव (माँस का अपने स्थान से हट जाना)
- अनदरूनी चोट (त्वचा के अन्दर रक्तस्राव)
- कटना
- भेदना

Scanned with OKEN Scanner

- चमडी का छिल जाना

कटे घाव की देखभाल

- घाव से गन्दगी हटाने हेतु बहुत ही सावधानी से घाव को साबुन तथा पानी से साफ करें।
- संक्रमण रोकने हेतु कीटाणु निरोधक मलहम का लेप करें।
- घाव को हल्के से पट्टी द्वारा ढक दें।
- घाव पर कीचड़ या गाय का गोबर आदि न लगाये।

रक्तस्राव में घाव की देखभाल

- रक्तस्राव को नियंत्रित करने हेतु पट्टी या कपडे के द्वारा रक्तस्राव के स्थान पर दबाव बनाना चाहिए यदि रक्तस्राव निरन्तर जारी रहता है तो अतिरिक्त पट्टियाँ बाधनी चाहिए।
- यदि रक्तस्राव जारी रहता है तो रक्तस्राव वाले हिस्से को हृदय तल से ऊंचा उठाना चाहिए।
- यदि रक्तस्राव फिर भी जारी रहता है तो चिकित्सक की सहायता लें तथा मुख्य दबाव बिन्दु धमनी पर दबाव बनायें (बांह या पैर में रक्तस्राव की स्थिति में)

हृदय आघात (हार्ट अटैक) में

सी0पी0 आर0 के प्रारम्भिक चरण/उपचार

- **चरण 1:** चिकित्सकीय सहायता हेतु चिकित्सक को बुलायें।
- **चरण 2:** सिर पीछे करें ठोडी उठायें और जाँचे कि मुँह में कुछ फंसा तो नहीं फिर सांस की जांच करें।
- **चरण 3:** दो बार सांस दें (20 सांसे प्रति मिनट के हिसाब से)
- **चरण 4:** छाती के बीचों बीच हाथ द्वारा दबवा बनायें।
- **चरण 5:** छाती पर 15 बार दो इंच नीचे तक दृढ़ता के साथ दबवा बनायें।(70 दबवा प्रति मिनट के हिसाब से)
- **चरण 6:** दो बार कृत्रिम सांस क्रिया फिर 15 बार हृदय पर दबाव डालते हुए बारी– बारी से दोनों क्रियाओं को सहायता आने तक जारी रखें।

Scanned with OKEN Scanner

- चमडी का छिल जाना

कटे घाव की देखभाल

- घाव से गन्दगी हटाने हेतु बहुत ही सावधानी से घाव को साबुन तथा पानी से साफ करें।
- संक्रमण रोकने हेतु कीटाणु निरोधक मलहम का लेप करें।
- घाव को हल्के से पट्टी द्वारा ढक दें।
- घाव पर कीचड़ या गाय का गोबर आदि न लगाये।

रक्तस्राव में घाव की देखभाल

- रक्तस्राव को नियंत्रित करने हेतु पट्टी या कपडे के द्वारा रक्तस्राव के स्थान पर दबाव बनाना चाहिए यदि रक्तस्राव निरन्तर जारी रहता है तो अतिरिक्त पट्टियाँ बाधनी चाहिए।
- यदि रक्तस्राव जारी रहता है तो रक्तस्राव वाले हिस्से को हृदय तल से ऊंचा उठाना चाहिए।
- यदि रक्तस्राव फिर भी जारी रहता है तो चिकित्सक की सहायता लें तथा मुख्य दबाव बिन्दु धमनी पर दबाव बनायें (बांह या पैर में रक्तस्राव की स्थिति में)

हृदय आघात (हार्ट अटैक) में

सी0पी0 आर0 के प्रारम्भिक चरण/उपचार

- **चरण 1:** चिकित्सकीय सहायता हेतु चिकित्सक को बुलायें।
- **चरण 2:** सिर पीछे करें ठोडी उठायें और जाँचे कि मुँह में कुछ फंसा तो नहीं फिर सांस की जांच करें।
- **चरण 3:** दो बार सांस दें (20 सांसे प्रति मिनट के हिसाब से)
- **चरण 4:** छाती के बीचों बीच हाथ द्वारा दबवा बनायें।
- **चरण 5:** छाती पर 15 बार दो इंच नीचे तक दृढ़ता के साथ दबवा बनायें।(70 दबवा प्रति मिनट के हिसाब से)
- **चरण 6:** दो बार कृत्रिम सांस क्रिया फिर 15 बार हृदय पर दबाव डालते हुए बारी– बारी से दोनों क्रियाओं को सहायता आने तक जारी रखें।

Scanned with OKEN Scanner

10. भवन निर्माण सामग्री की गुणवत्ता

निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित किये बिना सुरक्षित भवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अतःनिर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली प्रत्येक सामग्री की गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त होना अत्यन्त आवश्यक है।

ईंट

- ईंटों का रंग एकसार और लाल होना चाहिए
- ईंटों की आकृति, आकार एवं कोनों को सीधा व समकोणीय होना चाहिए
- 24 घण्टे तक पानी में डुबाये जाने पर ईंटों को अपने भार के 8–15 प्रतिशत से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए
- ईंटों को परस्पर टकराने पर धातु के टकराने पर उत्पन्न होने वाली ध्वनि आनी चाहिए
- 01 मीटर (3'3") की ऊँचाई से सख्त सतह पर गिराये जाने पर ईंटों को टूटना नहीं चाहिए और कुल टूट–फूट 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए

रेत

- प्रायः तीन प्रकार की रेत उपलब्ध होती हैः
- बारीक रेत (एकदम पावडर की तरह; इसे भराव के लिये प्रयोग में लाया जाता है)
- मध्यम रेत (सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता)
- मोटा रेत (भराव के लिये तथा पत्थर के काम में प्रयुक्त)

रेत की जाँच

- गीली रेत को हाथ में लेने पर हथेली पर चिपकने वाली मिट्टी की मात्रा रेत की अशुद्धता को दर्शाती है
- पानी से आधे भरे काँच के गिलास में रेत डाल कर लकड़ी की सहायता से घोलें व 24 घण्टे के लिये छोड़ दें। ऐसा पानी की आधी भरी बोतल में भी किया जा सकता है। पानी और रेत के मध्य दिखायी देने वाली मिट्टी की मात्रा 7 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए
- मिट्टी की मात्रा अधिक होने की स्थिति में रेत का प्रयोग भवन निर्माण के लिये नहीं किया जाना चाहिए

सीमेन्ट

- सीमेंट के कट्टे पर आई.एस. आई.(ISI) के मानक गुणवत्ता चिन्ह का होना आवश्यक है
- कट्टे पर सीमेन्ट बनाने वाली कम्पनी का पता तथा निर्माण व पैके करने की तिथि देखे (Manufacturing and Packaging Dates)
- सीमेन्ट का उपयोग सामान्यतः पैक किये जाने के तीन माह के अन्दर तथा बारिश के मौसम में दो माह के अन्दर कर लिया जाना चाहिए
- भवन निर्माण कार्य के लिये 43 ग्रेड के सीमेन्ट का उपयोग किया जाना चाहिए
- अंगुलियों के मध्य सीमेन्ट का बारीक पावडर की तरह महसूस होना चाहिए
- पानी की बाल्टी में डाले जाने पर सीमेंट को धीरे–धीरे डूबना चाहिए

सरिया

- सरिया पर आई.एस. आई. (ISI) का गुणवत्ता चिन्ह होना चाहिए
- सरिया को पर्याप्त रूप से लचीला होना चाहिए
- सरिया की अनुप्रस्थ काट में चमकदार सतह दिखनी चाहिए
- सरिया का औसत वजन प्रति इकाई के लिये मान्य मानक वजन के बराबर होना चाहिए। इसके

Scanned with OKEN Scanner

लिये सरिया के किन्हीं तीन टुकड़ों के भार का औसत लिया जा सकता है। उदाहरण के लिये 8 मि.मी. व्यास के सरिसा के तीन टुकड़ों का प्रति मीटर भार क्रमशः 395, 400 व 390 ग्राम आता है। अतः उपलब्ध करवायी गयी सरिया का औसत भार (395/400/390)/3) 395 ग्राम है जो कि मानक भार (390 ग्राम) के लगभग बराबर है

विभिन्न व्यास की सरिया का प्रति इकाई मानक भार निम्नवत् होता हैः

6 मि.मी. = 220 ग्राम
8 मि.मी. = 390 ग्राम
10 मि.मी. = 620 ग्राम
12 मि.मी. = 890 ग्राम
16 मि.मी. = 1580 ग्राम
20 मि.मी. = 2480 ग्राम

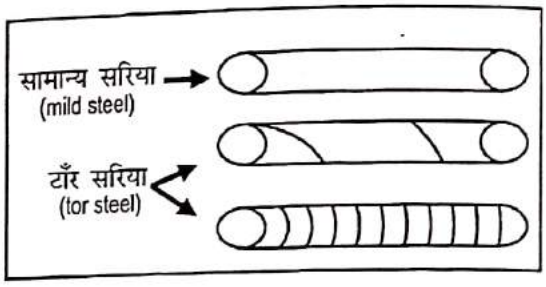

रोड़ी

- मोटी रोड़ी 40 मि.मी. आकार की होनी चाहिए
- मध्यम आकार की रोड़ी 12 मि.मी. की होनी चाहिए
- गोलाकार एवं एक बराबर आकार की रोड़ी अपेक्षाकृत कम मजबूत होती है
- पी.सी.सी. में 1:4:8 व 1:3:6 के अनुपात का मसाला प्रयुक्त किया जाता है। 1:3:6 के अनुपात के मसाले को प्रयोग में लाना उचित है
- 24 घण्टों तक पानी में रखे जाने पर रोड़ी को 5 प्रतिशत से कम पानी सोखाना चाहिए

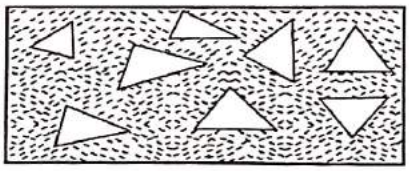

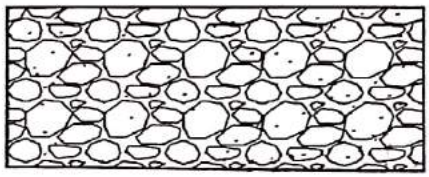

पानी

पानी की मात्रा व गुणवत्ताः

- निर्माण कार्यों में पानी को हमेशा नाप कर प्रयोग किया जाना चाहिए
- पानी नापने के लिये निशान लगी बाल्टी का उपयोग किया जा सकता है
- उपयोग में लाये जा रहे पानी का साफ (पीने योग्य) होना चाहिए
- एक कट्टा सीमेन्ट के मसाले में 30 लीटर से अधिक पानी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए
- निर्माण कार्य में प्रयुक्त किये जा रहे पानी को अम्लीय (acidic) नहीं होना चाहिए

अन्य महत्वपूर्ण सावधानियां

- रेत आसानी से पानी या हवा के कारण बिखर सकती है। अतः रेत के चारों ओर ईटें रखी जानी चाहिए
- सरिया जमीन की सीलन से प्रायः जंग खा जाता है। अतः सरिया को ऊँचे स्थान पर रखा जाना चाहिए
- ईटों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाना चाहिए और उपयोग में लाने से पहले पानी में डुबोया जाना चाहिए
- सीमेन्ट को सूखे स्थान पर रख कर पालीथीन की सीट से ढँका जाना चाहिए
- रोड़ी को विषम चतुर्भुजी (trapezoid) आकार में भण्डारित किया जाना चाहिए। ढेर के ऊपर चूने की लाईन लगाने से नापने में आसानी होती है

Scanned with OKEN Scanner

निर्माण हेतु स्थान का चयन

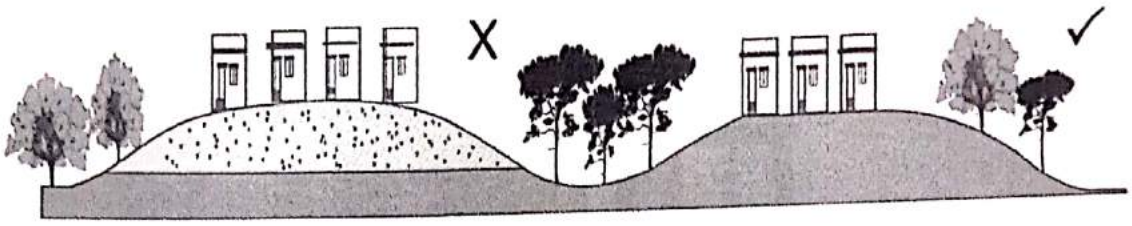

भवन का निर्माण भुरभुरी या मुलायम मिट्टी वाले स्थानों या भराव वाली जमीन पर नहीं किया जाना चाहिए।

भवन का निर्माण ठोस एवं स्थिर जमीन पर किया जाना चाहिए। पहाड़ों मे चट्टानी स्थान निर्माण के जिये अधिक उपयुक्त होंगे।

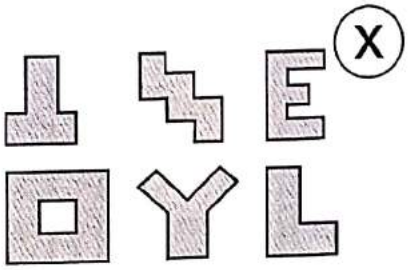

टेढ़े–मेढ़े या असमरूप विन्यास वाले भवनों को भूकम्प से अधिक क्षति होती है।

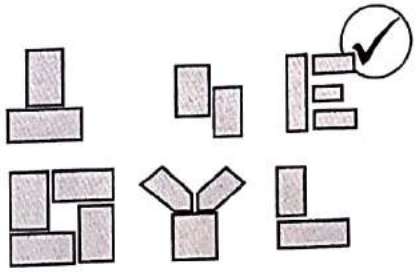

असमरूप विन्यास वाली संरचाओं को अलग–अलग समरूप आकरों में विभक्त किये जाने से सम्भावित क्षति के परिमाण को कम किया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

भवन के कोनों में बाहर निकले हुये भाग का मुख्य भाग की लम्बाई के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और इसके मध्य जोड़ नहीं होना चाहिए

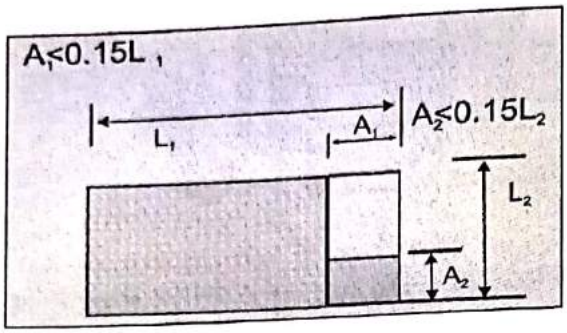

दो नजदीकी भवनों के मध्य भूकम्पीय कम्पनों के कारण परस्पर टकराने (pounding) की सम्भावनाओं को दूर किया जाना चाहिए

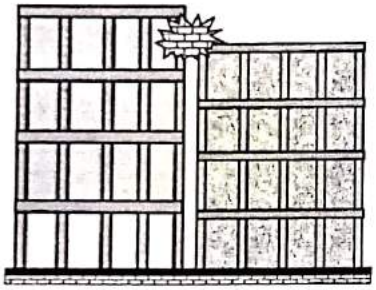

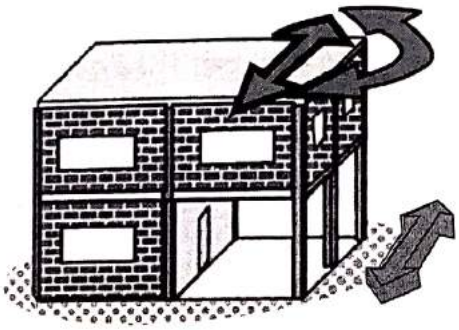

भूकम्प आने पर भवन के खुले भूतल वाले भाग को ज्यादा क्षति होगी

प्रायः भूतल का वाहनों का खड़ा किये जाने के उद्देश्य से खाली छोड़ दिया जाता है। दीवारों के अभाव में यह तल अपेक्षाकृत कमजोर सिद्ध होते हैं और इन्हें भूकम्प से अधिक क्षति होती है।

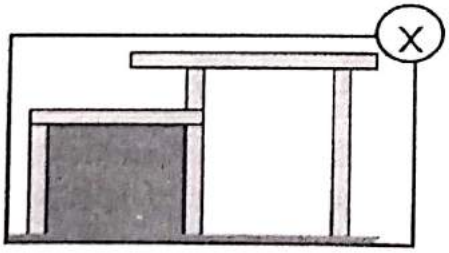

भिन्न ऊँचाई के दो भवनों को परस्पर जोड़ा नहीं जाना चाहिए

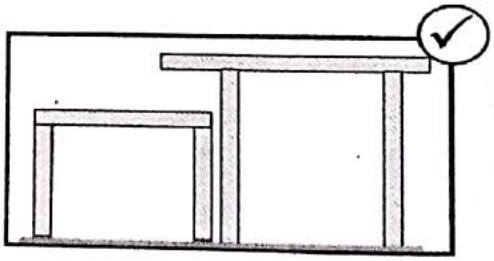

नजदीकी भवनों के मध्य पर्याप्त दूरी का होना आवश्यक है

Scanned with OKEN Scanner

11. भूकम्प आने पर क्या करें?

भूकम्प सोचने–समझने एवं प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं देता इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हमें पता हो कि भूकम्प आने पर क्या किया जाना सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुये भूकम्प के समय की गयी उचित प्रतिक्रिया हमारे और हमारे प्रियजनों की सुरक्षा के लिए निर्णायक सिद्ध हो सकता हैं; इसलिए हम सभी के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं का आत्मसात किया जाना अत्यन्त आवश्यक है:

- जहाँ है वही रहें; संतुलित रहें। हड़बड़ी घातक हो सकती हैं
- यदि घर के अन्दर हैं तो गिर सकने वाली भारी वस्तुओं से दूर रहें
- खिड़कियों से दूर रहें; शीशे के टूटे टुकड़े क्षति पहुँचा सकते हैं
- मजबूत मेज के नीचे छुपें या अन्दरूनी दीवार या स्तंभ के सहारे खड़े रहें
- सिर पर लगी चोटें ज्यादा घातक होती हैं इसलिए चेहरे व सिर का हाथों की सुरक्षा प्रदान करे व कम्पन रूकने तक सिर को हाथों की सुरक्षा में रखें
- अगर घर से बाहर हैं तो खुली जगह तलाशें। भवनों, पेड़ों बिजली की खम्भों व तारों से दूर रहें
- अगर घर से बाहर हैं तो रूके और अन्दर ही रहें
- पुल, बिजली के तारों, भवनों खाई और तीव्र ढ़ाल वाली चट्टानों से दूर रहें
- भूकम्प भूस्खलनों को जन्म दे सकता है, अतः सतर्क रहें

भूकम्प सुरक्षा और हमारी तैयारी

- भूकम्प से सुरक्षा के लिये तैयारी ही एकमात्र विकल्प है और यह तैयारी निश्चित ही हमारी जान बचा सकती है। हम भूकम्प के प्रति अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में रहते हैं और भूकम्प कभी भी हमें अपनी चपेट में ले सकता हैं। थोड़ी सी तैयारी हमारे प्रियजनों की जान बचा सकती हैं।
- सुनिश्चित करें कि परिवार का प्रत्येक सदस्य जानता हैं कि भूकम्प के समय क्या करना हैं
- घर के हर कमरे में सुरक्षित स्थान तय करे (दीवार के सहारे, दरवाजे की चौखट के नीचे, मेज के नीचे)। सुनिश्चित करें कि इन स्थानों पर किसी भारी वस्तु के गिरने से खतरा नहीं हैं (अलमारी, दीवार पर लटकता सामान)
- भूकम्प में प्रतिक्रिया करने के लिये बहुत कम समय मिलता हैं इसलिए बचने और सिर बचाने का अभ्यास करें
- घर के अन्दर खतरनाक स्थानों को चिन्हित करें (खिड़की,शीशे, लटकते सामान व अलमारी के आस पास) और भूकम्प के समय स्वयं को इन स्थानों से दूर रखें
- बाहर सुरक्षित स्थान तय करें। यह मकानों, पुलों, पेड़ों बिजली के तारों में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहिए
- आपको व आपके परिवार के समस्त सदस्यों को प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी होनी चाहिए व कुछ जरूरी दवाईयाँ सदैव पास रखी जानी चाहिये
- हो सकता है भूकम्प के समय परिवार के सभी सदस्य साथ न हो। बच्चे स्कूल में हो सकते हैं, महिलाएं पानी, चारे के लिये जंगल में व पुरूष खेतों में, हो सभी को मालूम होना चाहिए कि भूकम्प के बाद कहाँ मिलना हैं
- जानवरों की इन्द्रियाँ कई बार भूकम्प के खतरे को अपेक्षाकृत काफी पहले भाँप लेती है, इसलिए पालतू जानवरों के असंतुलित व्यवहार, बेचैनी व आक्रमकता को खतरे की पूर्वसूचना के रूप में लें एवं सतर्क रहें।

Scanned with OKEN Scanner

12. SDRF/NDRF मानक (2015–16)

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी
सम्पर्क नं.- 01374-222126, 222722, टोल फ्री-1077 फैक्स नम्बर-01374-222722
Email- ddmauttarkashi@gmail.com Website Link: http://uttarkashi.nic.in,
District Disaster Management Authority(DDMA)

वित्तीय वर्ष 2015–20 में प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) अहैतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान मदों की पुनरीक्षित दरें।

क्र. सं.	क्षति का प्रकार		SDRF/NDRF के मानकों के अनुसार राहत सहायता (रू0 में)	विशेष विवरण/ आवश्यक दस्तावेज
1.	मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह भुगतान		4.00 लाख	मृत्यु का प्राकृतिक आपदा से मृत्यु के कारण का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र/पी.एम. रिपोर्ट
2.	अपंगता (हाथ, पैर, ऑख) 60 प्रतिशत से अधिक		2.00 लाख	सरकारी चिकित्साधिकारी के प्रमाण पत्र पर
3.	अपंगता (हाथ, पैर, ऑख) 40 से 60 प्रतिशत तक		59,100.00	
4.	जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु एक सप्ताह से अधिक चिकित्सालय में रहना पड़े।		12,700.00	
5.	जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु एक सप्ताह से कम चिकित्सालय में रहना पड़े		4,300.00	
6.	पूर्णतः क्षतिग्रस्त पक्का/कच्चा आवासीय भवन		1,01,900.00	भवन अधिकृत निर्माण हो तथा उक्त क्षति की पुष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा की गयी हो
7.	तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त पक्का/कच्चा आवासीय भवन		1,01,900.00	
8.	आंशिक क्षतिग्रस्त पक्का आवासीय भवन		5,200.00	
9.	आंशिक क्षतिग्रस्त कच्चा आवासीय भवन		3,200.00	
10.	घरेलू सामान, खाद्यान्न एवं बर्तन नष्ट होने पर		2,000.00	उक्त के क्षति की पुष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा की गयी हो
11.	कपड़े नष्ट होने पर		1,800.00	
12.	क्षतिग्रस्त/नष्ट प्रति झोपड़ी		4,100.00	झोपड़ी अधिकृत निर्माण हो तथा क्षति की पुष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा की गयी हो
13.	भवन के साथ जुड़ी पशुशाला (प्रति पशुशाला)		2,100.00	क्षति की पुष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा की गयी हो
14.	कृषि भूमि में अवसाद हटाने के लिए/कृषि भूमि में अवसाद भरने पर (प्रति हे.)		12,200.00 (प्रति हे0)	
15.	भूस्खलन, हिमस्खलन या नदी के मार्ग बदलने के कारण भूमि की क्षति पर (प्रति हे.)		37,500.00 (प्रति हे0)	
16.	फसल नुकसान (33 प्रतिशत या अधिक होने पर)	असिंचित भूमि के लिए	6,800 .00 (प्रति हे.)	–
		सिंचित भूमि के लिए	13,500.00 (प्रति हे.)	न्यूनतम रू.1000.00 प्रति कृषक/जोत
17.	सदाबहार फसल का 33 प्रतिशत या इससे अधिक नुकसान होने पर		18,000.00 (प्रति हे0)	न्यूनतम रू.2000.00 प्रति कृषक/जोत
18.	दुधारू पशु भैंस, गाय, ऊँट, याक आदि की मृत्यु पर		30,000.00	आर्थिक रूप से उपयोगी 03 पशुओं की सीमा तक देय
19.	बैल, घोड़ा, ऊँट (गैर दुधारू) की मृत्यु पर (कार्य करने वाले पशु)		25,000.00	
20.	गधा, खच्चर आदि (गैर दुधारू)		16,000.00	
21.	छोटे पशु बकरी/भेड़/सुअर की मृत्यु पर		3,000.00	30 पशुओं की सीमा तक देय
22.	कुक्कुट पालन प्रति पक्षी/मुर्गी की मृत्यु पर		50.00	अधिकतम रू. 5000.00 की सीमा तक देय

नोटः– क्र.स. 18 से 22 हेतु पशु की प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने का प्रमाण पत्र पशु चिकित्साधिकारी से प्रमाणित होना आवश्यक है।

Scanned with OKEN Scanner

13. जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 25)

1. जनपद का जिलाधिकारी प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष
2. स्थानीय निकाय का निर्वाचित प्रतिनिधि प्राधिकरण का पदेन सह–अध्यक्ष
3. प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन सदस्य
4. पुलिस अधीक्षक पदेन सदस्य
5. मुख्य चिकित्साधिकारी पदेन सदस्य
6. राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकतम 02 जनपद स्तरीय अधिकारी पदेन सदस्य

शासनादेश संख्या–1501–13/XVIII(2)/07-3(6)/2007 दिनांक 04.12.2007 द्वारा उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गठित

आपदा की स्थिति में जनपद प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियां व कृत्य (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 34)

1. जनपद में अवस्थित सरकारी विभागों व निकायों के पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये उपलब्ध करवाये जाने हेतु निर्देश
2. आपदा सम्भावित व आपदा प्रभावित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण व प्रतिबन्ध
3. आपदा सम्भावित व आपदा प्रभावित क्षेत्र में व्यक्तियों के आवागमन पर नियंत्रण व प्रतिबन्ध
4. मलबा हटाना, खोज एवं बचाव कार्य
5. आश्रय, भोजन, पेयजल, आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य सुविधाओं व अन्य सेवाओं की व्यवस्था
6. प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन (Emergency) संचार व्यवस्था की स्थापना
7. मृतकों के अन्तिम संस्कार की व्यवस्था
8. जनपद में स्थित किसी भी सरकारी विभाग व निकाय को आपदा की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक उपाय किये जाने हेतु निर्देश
9. आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञों व परामर्शदाताओं से परामर्श
10. किसी भी संस्था या व्यक्ति से आवश्यकतानुरूप वांछित सामग्री की आपूर्ति
11. अस्थाई पुलों व अन्य आवश्यक संरचनाओं का निर्माण तथा जनसुरक्षा के दृष्टिगत असुरक्षित अवसंरचनाओं को ध्वस्त (Demolish) किया जाना
12. सुनिश्चित किया जाना कि स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा दी जा रही सेंवाओं में किसी प्रकार का भेदभाव न हो
13. स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक एवं वांछित अन्य कार्यों का सम्पादन

जनपद में स्थित विभागों की आपदा प्रबन्धन योजना (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 32)

जनपद में अवस्थित केन्द्र व राज्य सरकार के समस्त विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मार्गदर्शन में निम्नलिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचनाओं का समावेश करते हुये अपनी आपदा प्रबन्धन योजनायें विकसित की जानी हैं:

1. जनपद योजना में प्रयुक्त एवं सम्बन्धित विभाग के उत्तरदायित्वों के अन्तर्गत आने वाले आपदा रोकथाम व न्यूनीकरण उपायों हेतु व्यवस्थायें एवं संसाधन (Resources)
2. जनपद योजना के अनुरूप क्षमता विकास एवं पूर्व तैयारी सम्बन्धित कार्यों हेतु व्यवस्थायें
3. आपदा की स्थिति का सामना करने के लिये प्रतिवादन योजना (Response plan) व कार्यविधियाँ (operating procedures)

दंडात्मक व्यवस्थायें (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा, 51–56)

(क) अवरोध उत्पन्न करना: बिना पर्याप्त एवं तर्कसंगत कारण के आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्यों का सम्पादन कर रहे राज्य या केन्द्र सरकार के कार्मिकों या सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा

Scanned with OKEN Scanner

प्राधिकृत व्यक्तियों के कार्यों को बाधित (obstruct) करने या, राज्य या केन्द्र सरकार या सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा या उनकी ओर से निर्गत निर्देशों की अवहेलना (non-compliance) के दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास (imprisonment) या अर्थदण्ड (fine) या दोनों दिये जा सकते हैं। दोषी व्यक्ति के कृत्यों के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने या जान जोखिम में पड़ने की स्थिति में कारावास की अवधि को दो वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है (आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 51)।

(ख) **दोषपूर्ण दावे:** राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण या अन्य लाभों को लिये जाने के उद्देश्य से सरकार एवं सम्बन्धित प्राधिकरण के समक्ष जान–बूझ कर (knowingly) गलत दावे (false claims) प्रस्तुत करने के दोषी व्यक्ति को दो वर्ष तक कारावास एवं अर्थदण्ड (fine) दिया जा सकता है (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 52)।

(ग) **धन संसाधनों का दुरूपयोग:** आपदा की परिस्थिति में धन एवं संसाधनों की संरक्षा (custody) के लिये अधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत उपयोग या अन्य के लिये इनका उपयोग किये जाने या किसी अन्य को ऐसा करने के लिये विवश (compel) करने पर सम्बन्धित को दो वर्ष तक का कारावास व अर्थदण्ड दिया जा सकता है (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 53)।

(घ) **मिथ्या चेतावनी (false warning):** आपदा या फिर उसकी तीक्ष्णता (severity) या परिमाण (magnitude) के विषय में मिथ्या चेतावनी देने के दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास या अर्थदण्ड दिया जा सकता है (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 54)।

(ङ) **अधिकारी द्वारा कार्य न करना:** जब तक सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इस आशय से लिखित अनुमति न ली जाये इस अधिनियम में निर्दिष्ट कार्यों का सम्पादन न करने पर या इस हेतु उपस्थित न होने पर उसे एक वर्ष तक का कारावास या अर्थदण्ड दिया जा सकता है (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 56)।

विभागीय आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ व नोडल अधिकारी

विचार–विमर्श के उपरान्त विभाग के स्तर पर उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों का समावेश सुनिश्चित किये जाने हेतु एक पृथक प्रकोष्ठ (cell) का गठन किया जाना आवश्यक है। इस प्रकोष्ठ का दायित्व सक्षम स्तरीय विभागीय अधिकारी (विभागीय नोडल अधिकारी) को दिया जाना होगा व उक्त नोडल अधिकारी राज्य व जनपद स्तर पर उपलब्ध विभागीय संसाधनों (मानव संसाधन, उपकरण, अवसंरचनायें व अन्य) से सम्बन्धित जानकारियों को सूचीबद्ध कर निर्दिष्ट प्रारूप में आपदा प्रबन्धन विभाग को उपलब्ध करवाये जाने, इनके नियमित उच्चीकरण किये जाने व विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना के विकास हेतु उत्तरदायी होगा। उक्त अधिकारी आपदा की स्थिति में विभागीय संसाधनों के मोबिलाईजेशन एवं विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों के समन्वयन हेतु राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र में आपदा से सम्बन्धित सूचना मिलते ही अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेगा। राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी की सहायता हेतु जनपद स्तर भी आपदा सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये नोडल अधिकारी को नामित किया जाना आवश्यक होगा।

विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना का प्रारूप

उपरोक्त के क्रम में विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना को निम्नवत् अध्यायों के अनुरूप विकसित किया जाना है–

अध्याय–1 – प्रस्तावना परिकल्पना व उद्देश्य

अध्याय–2 – आपदाओं को प्रति राज्य की संवेदनशीलता एवं पूर्व में आपदा की स्थितियों में विभाग द्वारा सम्पादित विशिष्ट कार्य

- राज्य में सम्भावित आपदायें
- आपदाओं का सम्भावित परिमाण व भौगोलिक विस्तार
- आपदाओं से हो सकने वाली क्षति का परिमाण

Scanned with OKEN Scanner

■ पूर्व में घटित आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में विभाग के अनुभव व किये गये विशिष्ट कार्य

अध्याय –3 – विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले मुख्य कार्यों का विवरण व इनमें आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों के समावेश की सम्भावनायें–

■ आपदा से पहले (जागरूकता, प्रशिक्षण, उपकरणों का क्रय, नियोजन व तैयारी)
■ आपदा के उपरान्त (विभागीय अवसंरचनाओं की मरम्मत व विभागीय सेवाओं की पुनर्स्थापना)
■ विभाग द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य व दी जाने वाली सेवायें
■ विभाग द्वारा सम्पादित कार्यों में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों का समावेश

अध्याय–4 – आपदा की स्थिति में विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले उत्तरदायित्वों का विवरण–

■ आपदा से पूर्व ■ आपदा के समय ■ आपदा के उपरान्त

- जागरूकता (Awareness)
- प्रशिक्षण (Training)
- नियोजन (Planning)
- खोज एवं बचाव (Search & Rescue)
- प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
- राहत शिविर संचालन (Relief Camp Management)
- राहत व्यवस्था एवं वितरण
- यातायात व संचार (Transport and communication) व्यवस्था की पुनर्स्थापना (Restoration) एवं अन्य
- विभागीय सेवाओं का पुर्नसंचालन

अध्याय –5 – विभाग द्वारा नियमित रूप से किये जाने वाले कार्यों के अन्तर्गत आपदा न्यूनीकरण व रोकथाम हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम व उनके सफल सम्पादन हेतु विकसित रणनीति

■ विभागीय अवसंरचनाओं का मजबूतीकरण
■ विभागीय कार्यविशेष के सन्दर्भ में आपदा न्यूनीकरण व रोकथाम हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा
■ इन कार्यो के सम्पादन हेतु प्रशासनिक व वित्तीय व्यवस्थायें

अध्याय–6 – आपदा प्रबन्धन के परिप्रेक्ष्य में विभागीय क्षमता विकास नीति

■ प्रशिक्षण का औचित्य
■ प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण
■ प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं समय सारणी
■ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियमित क्रियान्वयन हेतु व्यवस्था

अध्याय–7 – विभागीय आपदा प्रबन्धन योजनाओं की समीक्षा व उच्चीकरण हेतु व्यवस्था–

■ आपदा उपरान्त समीक्षा ■ उच्चीकरण सुझाव ■ योजना का उच्चीकरण

- आपदा उपरान्त विभाग द्वारा सम्पादित कार्यों की समीक्षा
- विभाग द्वारा सम्पादित कार्यों में आपदा प्रबन्धन योजना से सम्बनधित पक्षों के समावेश का स्तर
- त्रुटियों/कमियों का चिन्हांकन
- योजनाओं के उच्चीकरण हेतु सुझाव
- विभाग द्वारा सम्पादित कार्यों के मूल्यांकन के आलोक में विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना का उच्चीकरण

अध्याय–8 – अन्य कोई सम्बन्धित विषय

संलग्नक– उक्त के अतिरिक्त विभागीय कार्य योजना में निम्नलिखित को संलग्नक/परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा–

संलग्नक–1: प्रमुख विभागीय अधिकारियों का विवरण (नाम, पता, सम्पर्क दूरभाष/मोबाईल संख्या)

Scanned with OKEN Scanner

संलग्न–2: आपदा के सन्दर्भ में विभागीय संसाधनों की सूची (संसाधन, क्षमता, स्थान, आदि सहित)
संलग्नक 3: आपदा के सन्दर्भ में विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिये राज्य व जनपद स्तर पर उत्तरदायी अधिकारियों का विवरण (नाम, पदनाम, पता, सम्पर्क दूरभाष/मोबाईल संख्या)
संलग्नक 4: आपदा की स्थिति हेतु विशिष्ट निर्णय–निर्धारण व दिशा–निर्देशन नियमावली
संलग्नक–5: आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित प्रयोजनों हेतु विभागीय बजट व्यवस्था का विवरण

- आपदा पूर्व जागरूकता, प्रशिक्षण एवं पूर्व तैयारी हेतु
- आपदा पूर्व रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु
- आवश्यक उपकरणों एवं अन्य की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु
- आपदा पूर्व अभ्यासों हेतु
- आपदा की स्थिति में चिन्हित दायित्वों के निर्वहन हेतु
- पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना हेतु

संलग्नक –6: आपदा की स्थिति हेतु विभागीय मानक प्रचालन कार्यविधियाँ (standard operating procedures: SOPs)

वर्ष 2014 में जनपद में क्षेत्रवार आंबटित इनफ्लेबल टावर लाईट का विवरण–

क्र. सं.	आंबटित स्थान	संरक्षक अधिकारी/संस्था	टावर लाईट की संख्या
1	श्री गंगोत्री मन्दिर	गंगोत्री मन्दिर समिति	02
2	हर्षिल	पुलिस चौकी, हर्षिल	01
3	हर्षिल	जी0एम0वी0एन0, हर्षिल	01
4	भटवाडी	पुलिस चौकी, भटवाड़ी	01
5	भटवाडी	तहसीलदार, भटवाड़ी	01
6	मनेरी	पुलिस थाना मनेरी	01
7	नेताला	उप राजस्व निरीक्षक, नेताला	01
8	उत्तरकाशी	थाना कोतवाली, उत्तरकाशी	02
9	उत्तरकाशी	उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी उत्तरकाशी	02
10	डुण्डा	उप जिलाधिकारी, डुण्डा	01
11	नालूपानी	उप जिलाधिकारी, डुण्डा	01
12	चिन्यालीसौड	तहसीलदार चिन्यालीसौड	01
13	श्री यमुनोत्री मन्दिर	मन्दिर समिति, यमुनोत्री	01
14	जानकीचट्टी	पुलिस चौकी, जानकीचट्टी	01
15	हनुमानचट्टी	पुलिस चौकी, हनुमानचट्टी	01
16	खरसाली	राजस्व उप निरीक्षक, खरसाली	01
17	स्यानाचट्टी	पुलिस चौकी स्यानाचट्टी	01
18	बड़कोट	उप जिलाधिकारी, बड़कोट	02
19	बड़कोट	थानाध्यक्ष, बड़कोट	01
20	नौगांव	पुलिस चौकी, नौगाव	01
21	डामटा	पुलिस चौकी, डामटा	01
		योग	25

Scanned with OKEN Scanner

पुलिस व राजस्व विभाग में अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची व दूरभाष जिनके पास आपदा प्रबन्धन हेतु राहत-बचाव उपकरण रखे गये है, जिनके द्वारा उपकरणों का रख-रखाव किया जा रहा है-

क्र.सं	थाना/तहसील/पुलिस लाईन/ अग्निशमन केन्द्र	दूरभाष
1	पुलिस लाईन	01374–222140
2	थाना कोतवाली	01374–222219
3	थाना मनेरी	01374–236204
4	थाना धरासू	01371–237203
5	थाना बड़कोट	01375–224241
6	थाना पुरोला	01373–224147
7	फायर सर्विस गंगोरी	01374–222201
8	फायर सर्विस बड़कोट	01375–224806
9	तहसील भटवाड़ी	01374–222166
10	तहसील डुण्डा	01371–222754
11	तहसील चिन्यालीसौड़	01371–237893
12	तहसील बड़कोट	01375–224423
13	तहसील पुरोला	01373–223200
14	तहसील मोरी	01373–234323

आपात कालीन सहायता संक्षेप में

साँस देना

- वायु मार्ग खोले, पीड़ित की साँस जांच लें।
- यदि पीड़ित सांस न ले रहा हो तो, फेस मास्क का प्रयोग करें।
- दा बार सांस दें, छाती को उभरता देखें।
- वायु मार्ग खोलें, जरूरत पड़ने पर दोबारा सांस दें।
- रक्त संचार जांच लें।
- अगर रक्त संचार है तो बड़ों और बच्चों में हर पांच सैकेण्ड में एक सांस दें।

सी0पी0आर0

- वायु मार्ग खोलें पीड़ित की सांस जांच लें।
- दो बार सांस दें।
- रक्त संचार जांच लें।
- रक्त संचार न होने पर छाती पर दबाव दें।
- वयस्क और बच्चों में 30 बार दबाव और 2 बार सांस दें। यह अनुपात जारी रखें।

दिल का दौरा

- डॉक्टर को बुलाएं।
- पीड़ित को आराम करने दें।
- पीड़ित को एक एसप्रिन (अगर एसप्रिन से एलर्जी न हो तो) दें।
- पीड़ित की स्थिति का ध्यान रखें।
- पीड़ित को पीने का पानी न दें।

सांस अटकना

- पीड़ित को खांसने को कहें यदि वह सांस बोल या सांस ले सकता है
- छाती औरपेट के बीच में दबाव दें।
- पीड़ित के बेहोश हाने पर सी0पी0आर0 दें।
- सांस देने से पहले यह जांच लें कि मुह में कुछ न हो।

Scanned with OKEN Scanner

सिर/दिमाग की चोट

- पीड़ित को लिटा दें।
- अगर चोट रीढ़ की हड्डी में है तो पीड़ित की गर्दन व सिर स्थिर करें
- पीड़ित की ए0बी0सी0 जांच।
- दिमाग की चोट होने पर पीड़ित को कुछ खाने–पीने को न दें।
- डॉक्टरी सहायता लें।

खून बहना

- कीटाणुरहित दस्ताने या किसी अवरोध का प्रयोग करें।
- घाव पर सीधा दबाव दें।
- पीड़ित अंग को हृदय के स्तर से उपर उठाएं।
- जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पट्टी का इस्तेमाल करें और दबाव बनाएं।
- रोलर पट्टी का प्रयोग करें।
- दबाव बिन्दुओं पर कुटिल दबाव दें।

नाक से खून बहना

- रोगी के सिर को आगे की ओर झुका कर बैठने को कहें।
- 10–15 मिनट तक रोगी के नाक पर दबाव बनाए रखें
- अगर खून गले में चला जाए तो डॉक्टर को बुलाएं।
- 10–15 मिनट बाद दबाव हटा दें अगर खून न रूके तो दोबारा दबाव दें।
- नाक पर ठंडी पट्टी करें।

आँख की चोट

- आंख से खून या आंख में कुछ धंसे होने की स्थिति में डॉक्टरी मदद लें।
- आंख में चोट लगने पर बर्फ की पट्टी लगाएं।
- धंसी हुई वस्तु को अपने आप न निकालें।
- चोट ग्रस्त व स्वस्थ दोनो आखों को ढक लें।
- आंख में घुसे छोटे कणों को निकाल लें।

हड्डी टूटना

- पीड़ित को आराम करने को कहें।
- हड्डी की टूट से ग्रस्त अंग के उपर व नीचे के भाग को बांध कर स्थिर कर लें।
- डॉक्टर को फोन करें या पीड़ित का अस्पताल ले जाने का प्रबन्ध करें।
- पीड़ित भाग पर ठंण्डी पट्टी करें।
- कमठी का प्रयोग करें।

काटना तथा डसना

- जानवर के काटने पर घाव को पानी तथा साबुन से धोएं।
- सांप के काटने पर घाव को धोए। धाव को न काटे और न ही चूसें। पीड़ित भाग को हृदय के स्तर से नीचे रखें।
- मधुमक्खी के काटने पर डंक निकालें। घाव पर ठंडी पट्टी लगाएं।
- हर स्थिति में डॉक्टरी मदद लें।

जलना

- जलने के स्रोत को हटाकर जलना रोकें।
- पहले और दूसरे स्तर में जले हुए भाग पर पानी डालें।
- अतिरिक्त चीजें जैसे गहने कपड़े हटा दें।
- दूसरे और तीसरे स्तर में घाव पर ढीली पट्टी लगाएं।
- तीसरे स्तर के जलने में पीड़ित को सदमें से बचाऐं।

बेहोश होना

- पीड़ित व्यक्ति की ए0बी0सी0 जांचे।
- पीड़ित व्यक्ति को लिटा दें और टांगें 8–12 इंच उपर उठा दें।
- गिरने से लगी अतिरिक्त चोट की जांच करें।
- व्यक्ति को सांत्वना दें।
- डॉक्टरी मदद लें।

लू लगना

- डॉक्टर को बुलाएं।
- पीड़ित को ठंडे स्थान पर ले जा
- पीड़ित के कपड़ों को ढीला कर
- पीड़ित को पानी या गीले कपड़े से ठंडा करें।
- शरीर का तापमान 100° फेरेनहा 37.80 सेल्सियस होने तक ठंडा करते

जहर निगलना

- पीड़ित की उम्र निगले गये जहर किस्म मात्रा और समय के बारे में जानका हासिल करें।
- तेजाब या क्षार निगलने की सूरत में पीने के लिए पानी दें।
- डॉक्टरी सलाह से उल्टी करवाएं।
- पीड़ित को बाईं तरफ लिटाएं।
- हर हाल में डॉक्टरी मदद लें।

Scanned with OKEN Scanner

मौसम सम्बधी पूर्वानुमान/वर्षा सम्बन्धी जानकारी में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली

(A)

	Intensity of Rainfall		Terminology Used
1.	0.1 mm to 2.4 mm	(24 hrs)	Very Light rain
2.	2.5 mm to 7.5 mm	-	Light rain
3.	7.6 mm to 34.9 mm	-	Light to Moderate rain
4.	35.0 mm to 64.9 mm	-	Moderate rain
5.	65.0 mm to 124.9 mm	-	Heavy rain
6.	Exceeding 125 mm	-	Very Heavy rain

(B) Special distribution of weather phenomenon

Precentage Area Covered	Terminology Used
1. 1 to 25	Isolated
2. 26 to 50	Few Places
3. 51 to 75	Many Places
4. 76 to 100	At most Places

(C) Emergency Situation

1. When water level is rising above the danger of H.F.L.
2. When intensity of railfall is above 65 mm/ hr
3. When breaches are anticipated and may lead to disaster
4. When water levels are rising alarmingly.

Scanned with OKEN Scanner

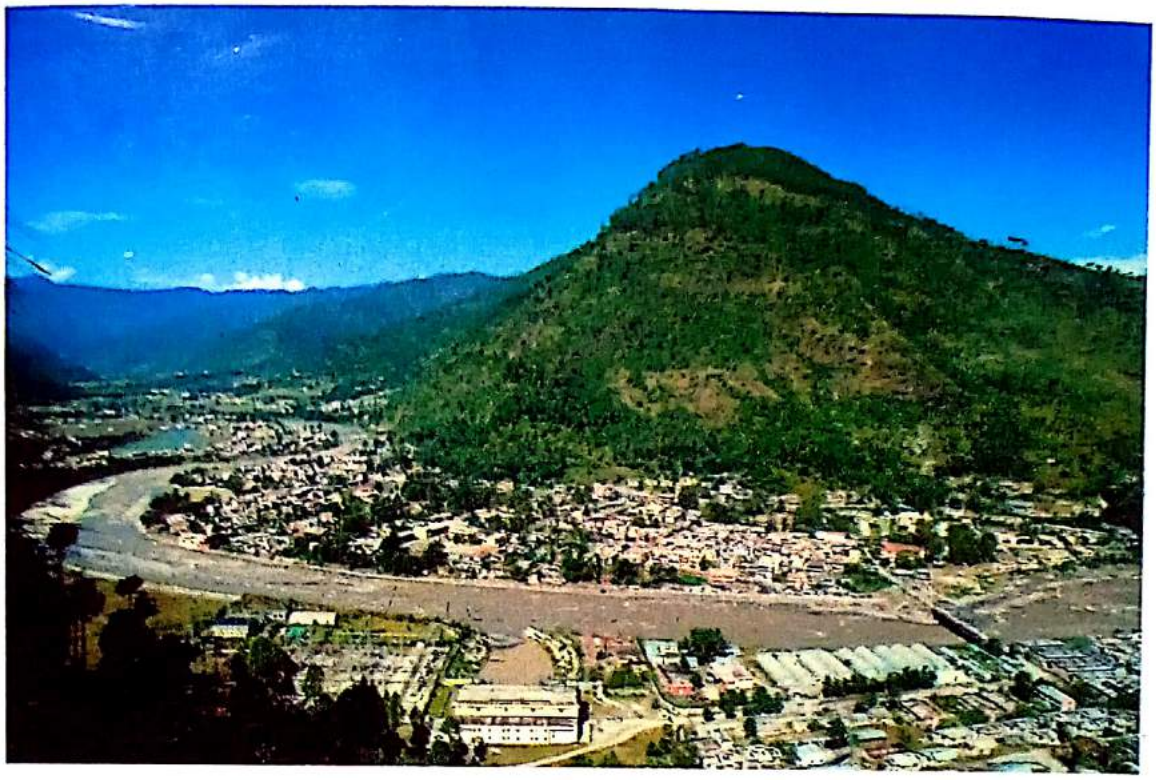

उत्तराखण्ड राज्य में आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता के दृष्टिगत राज्य में पृथक आपदा प्रबन्धन विभाग का गठन के पश्चात आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के तहत जनपद में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन एवं जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र की स्थापना की गयी। जनपद में संचालित जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र का संचालन 24 x 7 की तर्ज पर कार्यशील है। जिसमें जनपद में विभिन्न प्रकार की आपदा सम्बन्धित सूचनाओं का त्वरित रूप से आदान–प्रदान कर अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेशानुसार सम्बन्धितों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

जनपदान्तर्गत आपदा सम्बन्धित जानकारियों व सूचनाओं के लिए सम्पर्क करें–

जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र,
जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।
01374–222722 (फैक्स)
01374–222126, 1077 (टोल फ्री)
मोबाईल नं0 : 7500337269
ई–मेलः ddmauttarkashi@gmail.com

राज्य स्तरीय नोडल ऐजन्सी :–

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
दूरभाष नं0 : 0135–2710232, 2710233
फैक्स– 0135–2710199
वेब साईट–www.ua.nic.in/dmmc

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
दूरभाष नं0 : 0135–2710334, 1070 (टोल फ्री)
फैक्स– 0135–2710335
मोबाईल नं0 : 09557444486
ई–मेल : seoc.dmmc@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner